



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 आश्विन 1938 (श10)

(सं0 पटना 797) पटना, बुधवार, 28 सितम्बर 2016

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

28 सितम्बर 2016

एस० ओ० 242, दिनांक 28 सितम्बर 2016—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा 93 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ।- (1) यह नियमावली बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगी।

2. बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम-18 के उप-नियम (3) में खंड-(ज) का जोड़ा जाना।-बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005के नियम 18 के उप-नियम (3) के खंड-(झ) के बाद एक नया खंड-(ज) निम्नवत् जोड़ा जायेगा-

“(ज) डेवलपर के मामले में, भूमि का मूल्य जैसा कि विहित रीति से विनिर्दिष्ट किया जाय।”

3. बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम-18 में उप-नियम (3क) का अन्तःस्थापन।-बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005के नियम 18 के उप-नियम (3) के बाद एक नया उप-नियम (3क) निम्नवत् अन्तःस्थापित किया जायेगा-

“(3क)- अधिनियम की धारा 35 के उप-धारा (1) के खण्ड (गग) के प्रावधानों के अधीन, जहाँ संवेदक यथोचित लेखा-पुस्तका संधारण नहीं करता हो अथवा अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) सह-पठित उप-नियम (3) में वर्णित श्रम एवं अन्य सेवा एवं अन्य मदों के प्रभार में की गयी वास्तविक व्यय उसके द्वारा संधारित लेखा-पुस्त से निर्धारित नहीं किया जा सकता हो, श्रम एवं सेवा के मदों में किये गये व्यय के लिए, विहित पदाधिकारी, कार्यसंविदा की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित टेबल में दर्शाए गये प्रतिशत के बराबर छूट अनुमान्य कर सकेगा”:-

क्र०सं०	संविदा का प्रकार	श्रम एवं सेवाओं के लिए कटौती (प्रतिशत में)
(1)	संविदा, जिसमें मात्र श्रम एवं सेवाएँ सन्निहित हों	100
(2)	(क) नहर, सड़क, बाँध, डैम आदि पर सभी प्रकार की मिट्टी में, मशीन द्वारा सभी प्रकार के मिट्टी का कार्य। (ख) अर्थ मूविंग मशीन द्वारा मिट्टी का बाँध बनाने का कार्य।	20 25
(3)	(क) राजगीरी/कंक्रीट, बाँध, बराज, पुल, वाटर टावर तथा पी० एच० ई० डी० संस्थापन एवं लिफ्ट ईरिगेशन संस्थापन आदि (ख) डैम में स्टोन राजगीरी का कार्य तथा अन्य ऐसे कार्य।	30 35
(4)	नहर की संरचना एवं नहर के लाईनिंग (Lining) का निर्माण।	30
(5)	(क) पक्की सड़क का निर्माण (मिट्टी-कार्य छोड़कर) (ख) पक्की सड़क का निर्माण (मिट्टी-कार्य के साथ)	15 25
(6)	रिवर ट्रेनिंग (River Taining) एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए बोल्टर एवं ईट पक्कीकरण का कार्य (मिट्टी कार्य को छोड़कर)	40
(7)	विद्युतीकरण की संविदा के मामले में	20
(8)	संरचनात्मक संविदा के मामले में	30
(9)	सेनेटरी कार्य-संविदा के मामले में	33
(10)	पुराने टायरों में नयी रबड़ चढ़ाने की संविदा के मामले में	50
(11)	वस्त्र रंगने एवं प्रिंटिंग के कार्य-संविदा के मामले में	50
(12)	फोटोग्राफी एवं प्रिन्टिंग की संविदा के मामले में	30
(13)	मूर्तिकला एवं कला की संविदा के मामले में	70
(14)	रेफ्रिजेशन, एयर कन्डीशनर या अन्य मशीनरी, रोलिंग शटर लगाने की संविदा या क्रैन्स स्थापित करने की संविदा। प्लान्ट एण्ड मशीनरी स्थापित करने की संविदा।	15
(15)	सभी प्रकार के भवन-निर्माण की संविदा।	30
(16)	मार्बल स्लेब, परिष्कृत ग्रेनाइट स्टोन एवं टाइल्स लगाने की संविदा (मोजाईक टाइल्स को छोड़कर)	25
(17)	एलिपेटर (लिफ्ट्स) एवं इस्केलेटर्स के निर्माण संविदा एवं स्थापना	15
(18)	दरवाजा, दरवाजा फ्रेम, खिड़की, फ्रेम एवं ग्रिल्स की स्थापना	15
(19)	फर्निचर एवं फिक्सचर आपूर्ति एवं स्थापित करने, पार्टिशन, आन्तरिक सज्जा, फाल्स सिलिंग, मॉड्युलर किचेन स्थापित करने की संविदा	15
(20)	रेलवे द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले रेलवे कोच एवं वैगन्स का निर्माण/संविदा की संविदा	20
(21)	मोटर वाहन एवं ट्रेलर के बाँडी की संविदा आरक्षण	20
(22)	माप-तौल मशीन तथा धर्म-काँटा के स्थापना की संविदा	15
(23)	पेन्टिंग, पॉलिसिंग तथा व्हाइट वाशिंग की संविदा	30
(24)	इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो गेल्वेनाईजिंग तथा एनोडाईजिंग तथा इसी प्रकार के कार्य की संविदा	40
(25)	अन्य प्रकार की संविदाओं के लिए	30

4. बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 में नियम 18ख का अन्तःस्थापन।—बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 18 क के पश्चात् नया नियम 18 ख निम्नवत् अन्तःस्थापित किया जायेगा:—

“18ख— डेवलपर के मामले में भूमि के लागत के निर्धारण का तरीका—

भूमि के लागत मूल्य का निर्धारण राज्य सरकार के माप-दण्डों के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क के भुगतान के लिए भूमि के हस्तान्तरण से संबंधित निबंधन हेतु निर्धारित मूल्य पर किया जायेगा :

परन्तु यह कि इस नियम के अनुसार निर्धारित किये गये मालों का मूल्य पर कर भुगतान के पश्चात्, संव्यवहारी, विहित प्राधिकारी के समक्ष प्रमाणित करने के लिए स्वतंत्र होगा कि भूमि का वास्तविक लागत मूल्य भूमि के निबंधन हेतु स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान के उद्देश्य से राज्य सरकार के किसी प्राधिकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक है और भूमि का वास्तविक मूल्य अधिक प्रमाणित हो जाने पर, भूमि का उच्च मूल्य घटाने के योग्य होगा एवं अधिकाई भुगतान किया गया कर, यदि कोई हो, की वापसी/सामंजन की जायेगी।

5. बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 29 में उप-नियम (2) का प्रतिस्थापन।—बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम-29 के उप-नियम (2) का प्रतिस्थापन निम्नवत् किया जायेगा, यथा:—

“(2)(i) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्, ऐसी कटौती सभी निष्पादित संविदाओं के संबंध में दिये जाने वाले विक्रय मूल्य के पूर्ण या आंशिक भुगतान के लिए तात्पर्यित भुगतान से की जायेगी:

परन्तु यह कि निष्पादित कार्य संविदाओं के लिए श्रम एवं सेवाओं के मद में भुगतान की जाने वाली राशि से कोई कटौती नहीं की जायेगी:

परन्तु यह भी कि अधिनियम की धारा-6 अथवा धारा-7 के अन्तर्गत करमुक्त वस्तुएँ अथवा करमुक्त संव्यवहार के मद में भुगतान की जानेवाली राशि से कोई कटौती नहीं की जायेगी।

(ii) उप-नियम (2) के खण्ड (i) के प्रथम परन्तुक के प्रयोजन हेतु सभी निष्पादित संविदाओं के संबंध में दिए जाने वाले विक्रय मूल्य के पूर्ण या आंशिक भुगतान के लिए तात्पर्यित प्रत्येक भुगतान से श्रम एवं सेवाओं के मद में उस अनुपात में कटौती दी जायेगी जो संविदा विशेष से संबंधित विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट अथवा परिमाण विपत्र अथवा एग्रीमेन्ट की प्रति अथवा ऐसे अन्य दस्तावेज में कुल संविदा मूल्य में श्रम एवं सेवाओं की राशि का है।

(iii) जहाँ, संविदा से संबंधित विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट अथवा परिमाण विपत्र अथवा एग्रीमेन्ट की प्रति अथवा ऐसे अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, अथवा जहाँ उपलब्ध दस्तावेजों से श्रम एवं सेवाओं के प्रभार का कुल संविदा मूल्य का अनुपात निर्धारणीय नहीं है, विभिन्न प्रकृति के कार्यसंविदा के लिए श्रम एवं सेवा मद में कटौती की गणना नियमावली के नियम-18 के उप-नियम (3क) में संलग्न टेबल में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिशत के आधार पर की जायेगी।

(iv) उप-नियम (2) के खण्ड (ii) अथवा (iii) में विनिर्दिष्ट तरीके से कार्यसंविदा के निष्पादन में श्रम एवं सेवाओं के मद में कटौती एवं अधिनियम के धारा-6 एवं धारा-7 के अन्तर्गत करमुक्त वस्तुएँ अथवा करमुक्त संव्यवहार हेतु भुगतेय राशि को घटाने के उपरान्त शेष राशि से विहित दर से श्रोत पर कर की अग्रिम कटौती की जायेगी:

परन्तु यह और कि वर्ष में काटी गयी राशि उस व्यक्ति, जिसके विपत्रों से कटौती की गयी है, को धारा 68 के प्रावधानों के अधीन वापस कर दी जायेगी, यदि वह उस वर्ष में कर भुगतान हेतु दायी नहीं होता, जिस वर्ष में कटौती की गयी है:

परन्तु यह भी कि ऐसी कोई कर वापसी तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि वापसी का दावा करने वाला व्यक्ति अंचल प्रभारी के समक्ष प्रपत्र A-XIIIमें आवेदन, जिस वित्तीय वर्ष में कटौती या कटौतियों, यथास्थिति, की गयी हो, के समापन के बाद दाखिल न करे।

6. बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 से संलग्न फारम RT-I का प्रतिस्थापन—बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 से संलग्न फारम RT-I निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा—

“फारम -RT-I

[देखें नियम 19 (2)]

बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-24 के अधीन त्रैमासिक विवरणी

व्यवहारी का नाम एवं अधिनाम —

करदाता पहचान संख्या (TIN) —

विवरणी की अवधि (त्रैमास एवं वर्ष) —

भाग -I (व्यापारावर्त/अंतरणों के ब्योरे)

1	सकल आवर्त (डेबिट नोट के मूल्य सहित)	
	कटौतियाँ :	
2	अन्तर्प्रान्तीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में की गयी बिक्री	
3(i)	केन्द्रीय बिक्री—कर अधिनियम, 1956 की धारा-4 के अधीन राज्य के बाहर बिक्री का मूल्य	
3(ii)	राज्य के बाहर प्रेषित किए गए भंडार अंतरण का मूल्य	
4	अधिनियम के अधीन बिक्री के छः माह के भीतर विक्रय वापसी का मूल्य	
5	निर्यात बिक्री	
6	अन्य स्वीकार्य कटौतियाँ (बाक्स A के अनुसार)	
7	कुल कटौतियों की राशि (2+3+4+5+6)	
8	कराधेय आवर्त (1 - 7)	

भाग -II (आउटपुट टैक्स)

कर वार आउटपुट टैक्स का विभाजन

9	बिक्री का विवरण	कर की दर	बिक्री का आवर्त	भुगतेय कर
(i)(क)	एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी/व्यक्ति को पेट्रोल की बिक्री (व्यवहारी वार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स E-Iके अनुसार दिया जाय)			
(i)(ख)	एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी/व्यक्ति को एच०एस०डी० एवं एल०डी०ओ० की बिक्री (व्यवहारी वार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स E-Iके अनुसार दिया जाय)			
(i)(ग)	एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी/व्यक्ति को ए०टी०एफ० की बिक्री (व्यवहारी वार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स E-Iके अनुसार दिया जाय)			
(i)(घ)	एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी/व्यक्ति को प्राकृतिक गैस की बिक्री (व्यवहारी वार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स E-Iके अनुसार दिया जाय)			
(i)(ङ.)	देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की बिक्री			
(i)(च)	देश के बाहर से आयात किये गये अथवा भारत में निर्मित पोटेबल स्पीट, शराब अथवा लिकर की बिक्री			
(i)(छ)	अनुसूची IV के क्रमांक 1 से 6 को छोड़कर अनुसूची IVके अन्य वस्तुओं की बिक्री (बॉक्स I के अनुसार ब्यौरे दें)			
(i)(ज)	निर्दिष्ट अन्य			
(ii)	अनुसूची II में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्सG के अनुसार दर्शाया जाये)	1 प्रतिशत		
(iii)(क)	अनुसूची IIIक में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स G के अनुसार दर्शाया जाये)	5 प्रतिशत		
(iii)(ख)	अनुसूची III में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स G के अनुसार दर्शाया जाये)	5 प्रतिशत		
(iii)(ग)	अनुसूची III में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स G के अनुसार दर्शाया जाये)	6 प्रतिशत		
(iv)(क)	ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं हैं	13.5 प्रतिशत		
(iv)(ख)	ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं हैं	14.5 प्रतिशत		
(iv)(ग)	ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं हैं	15 प्रतिशत		
(v)	धारा-13 (1) के अधीन वस्तुओं की कुल बिक्री={ (ii)+(iii)(क)+(iii)(ख)+(iii)(ग)+(iv)(क)+(iv)(ख)+(iv)(ग)} [व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स B के अनुसार दिया जाय]			
(vi)	वैसी वस्तुओं की बिक्री राशि जिनके संबंध में धारा-15(5)(क) के अधीन इस विवरणी को दाखिल करने वाले व्यवहारी द्वारा अधिकतम बिक्री मूल्य पर कर का भुगतान किया जा चुका है। (व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स J के अनुसार दिया जाय)			
(vii)	क्रय कर का दायी आवर्त			
(viii)	अधिकायी रिवर्स क्रेडिट (14-13) यदि 13 से 14 ज्यादा है।			
(ix)	अधिक वसूल की गयी कर राशि = विक्रय वापसी की राशि x (वर्तमान कर दर-ऐसी बिक्री के समय प्रभावी कर दर)			
10	कुल आउटपुट टैक्स [(i)(क)+(i)(ख)+(i)(ग)+(i)(घ)+(i)(ङ.)+(i)(च)+(i)(छ)+(i)(ज)+(v)+(vi)+(vii)+(viii)+(ix)]			

भाग-III (खरीद/प्राप्ति का ब्यौरा)

11	तिमाही के दौरान खरीद/प्राप्ति का मूल्य	धारा-15 (5) के अधीन अधिसूचित वस्तुएँ *	अनुसूची-IV में वर्णित वस्तुएँ	अनुसूची-I की वस्तुएँ	अन्य कर योग्य वस्तुएँ						कुल	
					1%	5% (अनु०-III A)	5% (अनु०-III)	6% (अनु०-III)	13.5%	14.5%		15%
(i)	राज्य के अन्दर से क्रय (व्यवहारीवार खरीद का ब्यौरा बॉक्स C के अनुसार संलग्न करें)											
(ii)	राज्य के बाहर से क्रय											
(iii)	राज्य के अन्दर से स्टॉक अंतरण-प्राप्तियाँ											
(iv)	राज्य के बाहर से स्टॉक अंतरण-प्राप्तियाँ											
12.	कुल खरीद/प्राप्ति											

*धारा-15(5) के अधीन अधिसूचित वस्तुओं की बिक्री का व्यवहारीवार ब्यौरा बॉक्स K में दाखिल करें।

भाग-IV (इनपुट टैक्स क्रेडिट एवं भुगतेय कर)

		मूल्य	कर
13	तिमाही के दौरान व्यवहारी द्वारा क्रय पर चुकाया गया निविष्ट कर (जिसमें विनिर्माता के मामले में क्रय कर भी शामिल है।) -		
14	रिवर्स क्रेडिट (बॉक्स D के अनुसार) -		
15	नियम 12 के अधीन पूंजीगत निवेश के बारे में निविष्ट कर जमा -		
16	गत तिमाही से अग्रनीत असमायोजित निविष्ट कर जमा-		
17	त्रैमास के लिए कुल निविष्ट कर जमा [(13-14)+15+16] -		
18	धारा-24(12) के अधीन छूट (केवल यदि 17 से 10 अधिक होने पर दावा-किया जायेगा एवं 10-17 पर संगणित की जायेगी) -		
19	धारा-3क के अधीन भुगतेय अधिभार -		
20	धारा-3कक के अधीन भुगतेय अतिरिक्त कर -		
21	आउटपुट टैक्स, अधिभार एवं अतिरिक्त कर का कुल योग (छूट को घटाकर) [(10-18)+19+20] -		
22(i)	तिमाही के लिए भुगतेय वैट (21-17) यदि 17 से 21 अधिक है -		
22(ii)	भुगतेय ब्याज		
22(iii)	तिमाही के लिए भुगतेय कर की कुल राशि [22(i)+22(ii)]		
23	असमायोजित निविष्ट कर (17-21) यदि 21 से 17 अधिक है -		
24(i)	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन स्वीकृत कर		

		मूल्य	कर
24(ii)	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन देय कर से असमायोजित निविष्ट कर का सामंजन -		
24(iii)	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन भुगतेय कर, यदि कोई हो [24(i)-24(ii)]		
25(i)	अग्रनीत निविष्ट कर जमा [23-24(ii)] यदि 24(ii) से 23 अधिक है -		
25(ii)	त्रैमास के माह/माहों में भुगतेय कर की सीमा तक भुगतान किया गया वैट-		
25(iii)	कुल अग्रनीत निविष्ट कर जमा [25(i)+25(ii)]		

भाग-V (भुगतान का ब्यौरा)

26	भुगतान का ब्यौरा (बॉक्स - L में वैट एवं प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत किये गये भुगतान का ब्यौरा दर्शाया जाये)-	
(i)	प्रवेश कर के सामंजन द्वारा, यदि कोई हो-	
(ii)	क्रय कर के भुगतान द्वारा, यदि कोई हो (केवल विनिर्माता के मामले में)	
(iii)	धारा-3(7) के अधीन भुगतान किये गये अग्रिम कर के द्वारा, यदि कोई हो-	
(iv)	धारा-40 या 41 के अधीन अग्रिम कर की कटौती द्वारा (प्रमाण पत्र प्रपत्र C-IIमें संलग्न करें) -	
(v)	डिमांड ड्राफ्ट/चेक (संख्या, भुगतान की तिथि एवं निर्गमित करने वाले बैंक के नाम निर्दिष्ट करें)	
(vi)	नगद	
(vii)	उसी वित्तीय वर्ष के किसी पूर्ववर्ती माह में अधिक भुगतान की गयी राशि के समायोजन द्वारा (ऐसी अधिक राशि की संगणना एवं उसके भुगतान के ढंग का ब्यौरा दें)-	
(viii)	कोई अन्य ढंग, यथा आस्थगन इत्यादि (ढंग विनिर्दिष्ट करें)	
(ix)	आगामी त्रैमास में अग्रनीत अधिकायी कर भुगतान	

मैं घोषणा करता हूँ कि इस विवरणी में दिये गये विवरण सत्य एवं पूर्ण लेखाओं पर आधारित है एवं कॉलम 22 में उपदर्शित भुगतेय कर का भुगतान, कोषागार चालान के माध्यम से अथवा कॉलम 26 में उपदर्शित ढंग से कर दिया गया है तथा चालान एवं/अथवा प्रपत्र C-II में कटौती प्रमाण-पत्र, उक्त भुगतान/कटौती के संबंध में साक्ष्य के रूप में इसके साथ संलग्न है।

मैं आगे घोषित करता हूँ कि इस रिटर्न में दिये गये विवरण एवं इस रिटर्न में एवं इसके साथ दी गई विशिष्टियाँ एक बिक्री कर निबंधित व्यवसायी के रूप में मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास में सही एवं पूर्ण है तथा मैं इस विवरणी को हस्ताक्षरित करने एवं दाखिल करने हेतु सर्वथा योग्य हूँ।

स्थान :

प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर

तिथि :

(व्यवसायी के संबंध में प्रास्थिति)

बॉक्स A (अन्य स्वीकार्य कटौतियाँ)

	निम्नलिखित के बारे में कटौतियाँ :-	मूल्य
(i)	अधिनियम की अनुसूची-I में उल्लिखित वस्तुओं की बिक्री	
(ii)	एक ऑयल कंपनी द्वारा अन्य ऑयल कंपनी को पेट्रोल, डीजल, ए0टी0एफ0 एवं प्राकृतिक गैस की बिक्री (इस रिटर्न के साथ विभिन्न वस्तुओं की, उनके संबंधित बिक्री मूल्य के साथ-साथ पृथक रूप से एक सूची संलग्न करें)। (विभिन्न कंपनियों को बेची गयी वस्तुओं का ब्यौरा बॉक्स E-2 के अनुसार प्रस्तुत किया जाय)	
(iii)	बिहार राज्य के भीतर भंडार अंतरण का मूल्य-	
(iv)	कार्य संवेदक के मामले में श्रम एवं अन्य प्रभार की राशि -	
(v)	धारा-15(5) के आलोक में ऐसी वस्तुओं की बिक्री जिसपर खरीद के समय, अधिकतम खुदरा मूल्य पर कर का भुगतान किया गया है -	
(vi)	अधिनियम की धारा-13(2)(ख) के अधीन मालों की बिक्री जिस पर बिक्री के प्रथम बिन्दु पर कर का भुगतान किया गया है (इस रिटर्न के साथ विभिन्न वस्तुओं की उनके संबंधित बिक्री मूल्य के साथ-साथ पृथक रूप से एक सूची संलग्न की जाय) -	
(vii)	अनुसूची v में विनिर्दिष्ट संगठनों को बिक्री -	
	कुल [(i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)+(vii)] (रिटर्न के क्रम सं० 6 पर ले जायें)	

बॉक्स B (व्यवहारीवार करदेय बिक्री का विवरण जैसा कि भाग-II के क्रमांक 9(v) में उल्लेखित है।)

I-निबंधित व्यवहारी को बिक्री :

क्र० सं०	निबंधित व्यवहारी का नाम एवं अधिनाम जिसको बिक्री की गयी है	करदात पहचान संख्या	बिक्री का मूल्य									
			1%	5% (अनु०-III A)	5% (अनु०-III)	6% (अनु०-III)	13.5%	14.5%	15%	मुफ्त आपूर्ति वस्तुएं	कुल	
1												
2												
3												
कुल												

(नोट: यदि अपेक्षित हो अतिरिक्त पत्रों का व्यवहार करें)

II-अनिबंधित व्यवहारी को बिक्री :

क्र० सं०	अनिबंधित व्यवहारी का नाम एवं अधिनाम जिसको बिक्री की गयी है	पूरा पता	बिक्री का मूल्य									
			1%	5% (अनु०-III A)	5% (अनु०-III)	6% (अनु०-III)	13.5%	14.5%	15%	मुफ्त आपूरित वस्तुएँ	कुल	
1												
2												
3												
कुल												

(नोट: यदि अपेक्षित हो अतिरिक्त पत्रों का व्यवहार करें)

III- उपभोक्ताओं को बिक्री :

	बिक्री का मूल्य								
	1%	5% (अनु०-III A)	5% (अनु०-III)	6% (अनु०-III)	13.5%	14.5%	15%	मुफ्त आपूरित वस्तुएँ	कुल
उपभोक्ताओं को कुल बिक्री :									

बॉक्स C [अनुसूची I एवं एम०आर०पी० वस्तुओं को छोड़कर अन्य कर योग्य वस्तुओं का व्यवहारीवार क्रय जैसा कि भाग-III के क्रमांक 11(i) में उल्लेखित है।]

I-निबंधित व्यवहारी से क्रय :

क्र० सं०	निबंधित व्यवहारी का नाम एवं अधिनाम जिसको बिक्री की गयी है	करदात पहचान संख्या	क्रय का मूल्य									
			अनुसूची IV की वस्तुएँ	1%	5% (अनु०-III A)	5% (अनु०-III)	6% (अनु०-III)	13.5%	14.5%	15%	मुफ्त आपूरित वस्तुएँ	कुल
1												
2												
3												
4												
कुल												

(नोट: यदि अपेक्षित हो, अतिरिक्त पत्रों का व्यवहार करें)

II-अनिबंधित व्यवहारी/व्यवहारी से भिन्न व्यक्ति से क्रय :

क्र० सं०	अनिबंधित व्यवहारी का नाम एवं अधिनाम जिसको बिक्री की गयी है	करदाता पहचान संख्या	क्रय का मूल्य											
			अनुसूची IV की वस्तुएँ	1%	5% (अनु०-III A)	5% (अनु०-III)	6% (अनु०-III)	13.5%	14.5%	15%	मुफ्त आपूर्ति वस्तुएँ	कुल		
1														
2														
3														
4														
कुल														

(नोट: यदि अपेक्षित हो, अतिरिक्त पत्रों का उपयोग करें)

बॉक्स-D (रिवर्स क्रेडिट)

निम्नलिखित के कारण प्रतिलोम जमा (रिवर्स क्रेडिट) :		मूल्य	कर
(i)	विनिर्माता व्यवहारी के मामले में पूर्ववर्ती वर्ष का इनपुट-आउटपुट अनुपात (नियम 15 के अनुसार "K")		
(ii)	राज्यान्तर्गत भंडार अंतरण		
(iii)	अन्तर्प्रान्तीय भंडार अंतरण		
(iv)	इस विवरणी को दाखिल करने वाले व्यवहारी द्वारा की गयी खरीद वापसी -		
(v)	वस्तुओं, उपहार अथवा स्व-उपभोग के अधिकार का अंतरण-		
(vi)	अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री		
(vii)	अनुसूची I में विनिर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री		
(viii)	चोरी हुई, खो गयी अथवा बर्बाद हो गयी वस्तुओं का मूल्य, यदि कोई हो		
(ix)	खरीद मूल्य से कम कीमत पर बेचे गये माल		
(x)	कुल प्रतिलोम जमा (रिवर्स क्रेडिट) (रिटर्न के कॉलम 14 पर ले जाया जाय)		

बॉक्स-E-1/E-2 (पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस एवं ए0टी0एफ0 की व्यवहारी वार बिक्री) बॉक्स E-1 के योग वस्तुवार कॉलम 9(i)कसे 9(i)घ पर ले जायें एवं बॉक्स-E-2 का योग बॉक्स के A कॉलम (ii) पर ले जायें

क्र० सं०	व्यवहारी का नाम एवं अधिनाम जिसको बिक्री की गयी है	करदाता पहचान सं०की बिक्रीयों का मूल्य				
			पेट्रोल	डीजल	प्राकृतिक गैस	ए0टी0एफ0	कुल
1							
2							
3							
4							
5							
कुल							

बॉक्स-F(दावों के समर्थन में जमा किये गये वैधानिक प्रपत्र/घोषणापत्र/प्रमाण पत्र का ब्यौरा)

क्र० सं०	प्रपत्रों का विवरण	प्रपत्रों की संख्या	अवधि जिससे संव्यवहार संबंधित हैं	प्रपत्रों का मूल्य
1	C-II			
2	D-III			
3	D-IV			
4	D-V			
5	D-XI			
6	C			
7	EI/EII			
8	F			
9	H			
10	I			
11	J			

बॉक्स-G [वस्तुवार बिक्री का विवरण जैसा कि पार्ट-II के क्रमांक 9 (ii) से 9(iii) तक में उल्लेखित है।]

क्र० सं०	वस्तु का विवरण	कर की दर	अनुसूची की प्रविष्टि संख्या			बिक्री का आवर्त
			अनुसूची का नाम	अनुसूची का भाग, यदि कोई हो	प्रविष्टि संख्या	

(नोट:-यदि अपेक्षित हो, अतिरिक्त पत्रों का उपयोग करें)

बॉक्स-H (विनिर्माता तथा कार्य संविदाकार व्यवहारियों द्वारा क्रय के ब्यौरे)

मेटेरियल	राज्य के अंदर से	राज्य के बाहर से	कुल
कच्चा माल			
पैकिंग मेटेरियल			
प्लान्ट तथा मशीनरी			
कुल			

बॉक्स I (वस्तुवार बिक्री का विवरण जैसा कि क्रमांक 9(i)(छ) में उल्लेखित है।)

क्र० सं०	अनुसूची IV के वस्तु का नाम (अनुसूची IV के क्रमांक 1 से 6 को छोड़कर)	कर दर	वस्तुवार बिक्री का मूल्य एवं भुगतये कर					कुल भुगतये कर [6+(7-8)]
			केवल बिक्री के प्रथम बिन्दु पर करारोपण होने वाले वस्तुओं की कुल बिक्री	सभी बिन्दुओं पर भुगतये कर वाले वस्तुओं की कुल बिक्री	स्तम्भ - 4 पर कुल कर	स्तम्भ - 5 पर कुल कर	नियम 10क के अन्तर्गत कर का सामंजस	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
	कर							

बॉक्स J (व्यवहारीवार एम०आर०पी० वस्तुओं की बिक्री का विवरण जैसा कि क्रमांक 9(vi) में उल्लेखित है।)
(i) निबंधित व्यवहारी को बिक्री :

क्र० सं०	निबंधित व्यवहारी का नाम एवं अधिनाम जिसको बिक्री की गयी है	करदाता पहचान संख्या	एम०आर०पी० वस्तुओं का मूल्य							
			अनुसूची III के मालों की बिक्री		अविनिर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री		कुल		मुफ्त आपूर्तित वस्तु	
			व्यापार मूल्य	एम०आर० पी० मूल्य	व्यापार मूल्य	एम०आर० पी० मूल्य	व्यापार मूल्य	एम०आर० पी० मूल्य	व्यापार मूल्य	एम०आर० पी० मूल्य
1										
2										
3										
4										
कुल										

(नोट:-यदि अपेक्षित हो, अतिरिक्त पत्रों का उपयोग करें)

(ii) अनिबंधित व्यवहारी को बिक्री :

क्र० सं०	व्यवहारी का नाम एवं अधिनाम जिसको बिक्री की गयी है	पूर्ण पता	एम०आर०पी० वस्तुओं का मूल्य							
			अनुसूची III के मालों की बिक्री		अविनिर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री		कुल		मुफ्त आपूर्तित वस्तु	
			व्यापार मूल्य	एम०आर० पी० मूल्य	व्यापार मूल्य	एम०आर० पी० मूल्य	व्यापार मूल्य	एम०आर० पी० मूल्य	व्यापार मूल्य	एम०आर० पी० मूल्य
1										
2										
3										
4										
कुल										

(नोट:-यदि अपेक्षित हो, अतिरिक्त पत्रों का उपयोग करें)

(iii) उपभोक्ताओं को बिक्री :

उपभोक्ताओं को की गयी कुल बिक्री	एम०आर०पी० वस्तुओं का मूल्य								
	अनुसूची III के मालों की बिक्री		अविनिर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री		कुल		मुफ्त आपूर्तित वस्तु		
	व्यापार मूल्य	एम०आर० पी० मूल्य	व्यापार मूल्य	एम०आर० पी० मूल्य	व्यापार मूल्य	एम०आर० पी० मूल्य	व्यापार मूल्य	एम०आर० पी० मूल्य	

कुल एम०आर०पी० बिक्री (i)+(ii)+(iii) = रु०.....

बॉक्स K (धारा 15(5) के अन्तर्गत राज्य के अन्दर एम०आर०पी०वस्तुओं का खरीद/प्राप्ति का व्यवहारीवार विवरण जैसा कि क्रमांक 11 में उल्लेखित है।)

क्र० सं०	निबंधित व्यवहारी का नाम एवं अधिनाम जिनसे खरीद/भंडार प्राप्त किया गया है।	करदाता पहचान संख्या	एम०आर०पी० वस्तुओं का क्रय/प्राप्ति मूल्य							
			अनुसूची III के मालों की खरीद/प्राप्त भंडार		अविनिर्दिष्ट वस्तुओं की खरीद/प्राप्त भंडार		कुल		मुफ्त आपूर्तित वस्तु	
			व्यापार मूल्य	एम० आर० पी० मूल्य	व्यापार मूल्य	एम० आर० पी० मूल्य	व्यापार मूल्य	एम० आर० पी० मूल्य	व्यापार मूल्य	एम० आर० पी० मूल्य
1										
2										
3										
4										
	कुल									

(नोट:—यदि अपेक्षित हो, अतिरिक्त पन्नों का उपयोग करें)

बॉक्स- L [वैट एवं प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत मासिक कर भुगतान का विवरण]

क्र० सं०	माह का नाम	अधिनियम का नाम (वैट/प्रवेश कर)	माह का आउटपुट कर यदि कोई हो	माह का इनपुट टैक्स यदि कोई हो	माह में भुगतेय कर यदि कोई हो	भुगतान की गयी कर की राशि	भुगतान की गयी ब्याज की राशि	कर भुगतान की तिथि	चलान सं०
1									
2									
3									
कुल									

मैं घोषणा करता हूँ कि इस रिटर्न एवं विभिन्न बॉक्स में दिये गये विवरण सत्य एवं पूर्ण लेखाओं पर आधारित हैं।

मैं आगे घोषणा करता हूँ कि इस रिटर्न में दिये गये विवरण एवं दी गई विशिष्टियाँ एक निबंधित व्यवसायी के रूप में मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास में सही एवं पूर्ण है तथा मैं इस रिटर्न को हस्ताक्षरित करने एवं दाखिल करने हेतु सर्वथा योग्य हूँ।

स्थान :

प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर,"

तिथि :

व्यवसायी से प्राप्ति

7. बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 से संलग्न फारम RT-III का प्रतिस्थापन—बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 से संलग्न फारम RT-III निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा—
“फारम –RT-III

[देखें नियम 19 (2)]

बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-24 के अधीन वार्षिक विवरणी

व्यवहारी का नाम एवं अधिनाम –
करदाता पहचान संख्या (TIN) –
विवरणी की अवधि (वर्ष) –

भाग –I (व्यापारावर्त/अंतरणों के ब्यौरे)

1	सकल आवर्त (डेबिट नोट के मूल्य सहित)	
	कटौतियाँ :	
2	अन्तर्प्रान्तीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में की गयी बिक्री	
3(i)	केन्द्रीय बिक्री—कर अधिनियम, 1956 की धारा-4 के अधीन राज्य के बाहर बिक्री का मूल्य	
3(ii)	राज्य के बाहर प्रेषित किए गए भंडार अंतरण का मूल्य	
4	अधिनियम के अधीन बिक्री के छः माह के भीतर विक्रय वापसी का मूल्य	
5	निर्यात बिक्री	
6	अन्य स्वीकार्य कटौतियाँ (बाक्स A के अनुसार)	
7	कुल कटौतियों की राशि (2+3+4+5+6)	
8	कराधेय आवर्त (1 – 7)	

भाग –II (आउटपुट टैक्स)

कर वार आउटपुट टैक्स का विभाजन

9	बिक्री का विवरण	कर की दर	बिक्री का आवर्त	भुगतये कर
(i)(क)	एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी/व्यक्ति को पेट्रोल की बिक्री			
(i)(ख)	एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी/व्यक्ति को एच०एस०डी० एवं एल०डी०ओ० की बिक्री			
(i)(ग)	एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी/व्यक्ति को ए०टी०एफ० की बिक्री			
(i)(घ)	एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी/व्यक्ति को प्राकृतिक गैस की बिक्री			
(i)(ङ.)	देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की बिक्री			
(i)(च)	देश के बाहर से आयात किये गये अथवा भारत में निर्मित पोटेबल स्पीट, शराब अथवा लिकर की बिक्री			
(i)(छ)	अनुसूची IV के क्रमांक 1 से 6 को छोड़कर अनुसूची IV के अन्य वस्तुओं की बिक्री (बाँक्स H के अनुसार ब्यौरे दें)			
(i)(ज)	निर्दिष्ट अन्य			
(ii)	अनुसूची II में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बाँक्स F के अनुसार दर्शाया जाये)	1 प्रतिशत		
(iii)(क)	अनुसूची IIIक में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बाँक्स F के अनुसार दर्शाया जाये)	5 प्रतिशत		
(iii)(ख)	अनुसूची III में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बाँक्स F के अनुसार दर्शाया जाये)	5 प्रतिशत		

भाग-IV (इनपुट टैक्स क्रेडिट एवं भुगतेय कर)

		मूल्य	कर
13	वर्ष के दौरान व्यवहारी द्वारा क्रय पर चुकाया गया निविष्ट कर (जिसमें विनिर्माता के मामले में क्रय कर भी शामिल है।) -		
14	रिवर्स क्रेडिट (बॉक्स C के अनुसार) -		
15	नियम 12 के अधीन पूंजीगत निवेश के बारे में निविष्ट कर जमा -		
16	गत वर्ष से अग्रनीत असमायोजित निविष्ट कर जमा-		
17	वर्ष के लिए कुल निविष्ट कर जमा [(13-14)+15+16] -		
18	धारा-24(12) के अधीन छूट (केवल यदि 17 से 10 अधिक होने पर दावा-किया जायेगा एवं 10-17 पर संगणित की जायेगी) -		
19	धारा-3क के अधीन भुगतेय अधिभार -		
20	धारा-3कक के अधीन भुगतेय अतिरिक्त कर -		
21	आउटपुट टैक्स, अधिभार एवं अतिरिक्त कर का कुल योग (छूट को घटाकर) [(10-18)+19+20] -		
22(i)	वर्ष के लिए भुगतेय वैट (21-17) यदि 17 से 21 अधिक है -		
22(ii)	भुगतेय ब्याज		
22(iii)	वर्ष के लिए भुगतेय कर की कुल राशि [22(i)+22(ii)]		
23	असमायोजित निविष्ट कर (17-21) यदि 21 से 17 अधिक है -		
24(i)	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन स्वीकृत कर		
24(ii)	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन देय कर से असमायोजित निविष्ट कर का सामंजन -		
24(iii)	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन भुगतेय कर, यदि कोई हो [24(i)-24(ii)]		
25	धारा- 16 (1) के द्वितीय परन्तुक के अधीन दावाकृत असमायोजित इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी, यदि कोई		
26(i)	अग्रनीत निविष्ट कर जमा [23-{24(ii)+25}]		
26(ii)	वर्ष के माह/माहों में भुगतेय कर की सीमा तक भुगतान किया गया वैट-		
26(iii)	कुल अग्रनीत निविष्ट कर जमा [26(i)+26(ii)]		

भाग-V (भुगतान का ब्यौरा)

27	भुगतान का ब्यौरा (बॉक्स - I में वैट एवं प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत किये गये भुगतान का ब्यौरा दर्शाया जाये)-	
(i)	प्रवेश कर के सामंजन द्वारा, यदि कोई हो-	
(ii)	क्रय कर के भुगतान द्वारा, यदि कोई हो (केवल विनिर्माता के मामले में)	
(iii)	धारा-3(7) के अधीन भुगतान किये गये अग्रिम कर के द्वारा, यदि कोई हो-	
(iv)	धारा-40 या 41 के अधीन अग्रिम कर की कटौती द्वारा (प्रमाण पत्र प्रपत्र C-IIमें संलग्न करें) -	
(v)	डिमांड ड्राफ्ट/चेक (संख्या, भुगतान की तिथि एवं निर्गमित करने वाले बैंक के नाम निर्दिष्ट करें)	
(vi)	नगद	
(vii)	उसी वित्तीय वर्ष के किसी पूर्ववर्ती माह में अधिक भुगतान की गयी राशि के समायोजन द्वारा (ऐसी अधिक राशि की संगणना एवं उसके भुगतान के ढंग का ब्यौरा दें)-	
(viii)	कोई अन्य ढंग, यथा आस्थगन इत्यादि (ढंग विनिर्दिष्ट करें)	
(ix)	वर्ष में किया गया अधिकायी कर भुगतान	

मैं घोषणा करता हूँ कि इस विवरणी में दिये गये विवरण सत्य एवं पूर्ण लेखाओं पर आधारित है एवं कॉलम 22 में उपदर्शित भुगतान कर का भुगतान, कोषागार चालान के माध्यम से अथवा कॉलम 27 में उपदर्शित ढंग से कर दिया गया है तथा चालान एवं/अथवा प्रपत्र C-II में कटौती प्रमाण-पत्र, उक्त भुगतान/कटौती के संबंध में साक्ष्य के रूप में इसके साथ संलग्न है।

मैं आगे घोषित करता हूँ कि इस रिटर्न में दिये गये विवरण एवं इस रिटर्न में एवं इसके साथ दी गई विशिष्टियाँ एक बिक्री कर निबंधित व्यवसायी के रूप में मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास में सही एवं पूर्ण है तथा मैं इस विवरणी को हस्ताक्षरित करने एवं दाखिल करने हेतु सर्वथा योग्य हूँ।

स्थान :
तिथि :

प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर
(व्यवसायी के संबंध में प्रास्थिति)

बॉक्स A (अन्य स्वीकार्य कटौतियाँ)

	निम्नलिखित के बारे में कटौतियाँ	मूल्य
(i)	अधिनियम की अनुसूची-I में उल्लिखित वस्तुओं की बिक्री	
(ii)	एक ऑयल कंपनी द्वारा अन्य ऑयल कंपनी को पेट्रोल, डीजल, ए0टी0एफ0 एवं प्राकृतिक गैस की बिक्री (इस रिटर्न के साथ विभिन्न वस्तुओं की, उनके संबंधित बिक्री मूल्य के साथ-साथ पृथक रूप से एक सूची संलग्न करें)। (विभिन्न कंपनियों को बेची गयी वस्तुओं का ब्यौरा बॉक्स D के अनुसार प्रस्तुत किया जाय)	
(iii)	बिहार राज्य के भीतर भंडार अंतरण का मूल्य-	
(iv)	कार्य संवेदक के मामले में श्रम एवं अन्य प्रभार की राशि -	
(v)	धारा-15(5) के आलोक में ऐसी वस्तुओं की बिक्री जिसपर खरीद के समय, अधिकतम खुदरा मूल्य पर कर का भुगतान किया गया है -	
(vi)	अधिनियम की धारा-13(2)(ख) के अधीन मालों की बिक्री जिस पर बिक्री के प्रथम बिन्दु पर कर का भुगतान किया गया है (इस रिटर्न के साथ विभिन्न वस्तुओं की उनके संबंधित बिक्री मूल्य के साथ-साथ पृथक रूप से एक सूची संलग्न की जाय) -	
(vii)	अनुसूची v में विनिर्दिष्ट संगठनों को बिक्री -	
	कुल [(i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)+(vii)](रिटर्न के क्रम सं० 6 पर ले जायें)	

बॉक्स B

वस्तु का नाम	कर की दर	बिक्री का आवर्त	भुगतेय कर
पेट्रोल			
डीजल			
ए०टी०एफ०			
प्राकृतिक गैस			
कुल			

बॉक्स'-C (रिवर्स क्रेडिट)

	निम्नलिखित के कारण प्रतिलोम जमा (रिवर्स क्रेडिट) :	मूल्य	कर
(i)	विनिर्माता व्यवहारी के मामले में पूर्ववर्ती वर्ष कामूल इनपुट-आउटपुट अनुपात का मूल्य (नियम 15 के अनुसार "K")		
(ii)	विनिर्माता व्यवहारी के मामले में वर्तमान वर्ष के पुनरीक्षित इनपुट-आउटपुट अनुपात का मूल्य (नियम 16 के अनुसार पुनरीक्षित "K")		
(iii)	राज्यान्तर्गत भंडार अंतरण		
(iv)	अन्तर्प्रान्तीय भंडार अंतरण		
(v)	इस विवरणी को दाखिल करने वाले व्यवहारी द्वारा की गयी खरीद वापसी -		
(vi)	वस्तुओं, उपहार अथवा स्व-उपभोग के अधिकार का अंतरण-		
(vii)	अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री		
(viii)	अनुसूची I में विनिर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री		
(ix)	चोरी हुई, खो गयी अथवा बर्बाद हो गयी वस्तुओं का मूल्य, यदि कोई हो		
(x)	खरीद मूल्य से कम कीमत पर बेचे गये माल		
(xi)	कुल प्रतिलोम जमा (रिवर्स क्रेडिट) (रिटर्न के कॉलम 14 पर ले जाया जाय)		

बॉक्स'-D (पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस एवं ए०टी०एफ० की बॉक्स A के कॉलम (ii) के अनुसार व्यवहारी वार बिक्री)

क्र० सं०	निबंधित व्यवहारी का नाम एवं अधिनाम जिसको बिक्री की गयी है	करदाता पहचान संख्याकी बिक्रियों का मूल्य				
			पेट्रोल	डीजल	प्राकृतिक गैस	ए०टी०एफ०	कुल
1							
2							
3							
4							
कुल							

बॉक्स-E (दावों के समर्थन में जमा किये गये वैधानिक प्रपत्र/घोषणापत्र/प्रमाण पत्र का ब्यौरा)

क्र० सं०	प्रपत्रों का विवरण	प्रपत्रों की संख्या	अवधि जिससे संव्यवहार संबंधित हैं	प्रपत्रों का मूल्य
1	C-II			
2	D-III			
3	D-IV			
4	D-V			
5	D-XI			
6	C			
7	EI/EII			
8	F			
9	H			
10	I			
11	J			

बॉक्स-F [वस्तुवार बिक्री का विवरण जैसा कि पार्ट-II के क्रमांक 9 (ii) से 9(iii) तक में उल्लेखित है।]

क्र० सं०	वस्तु का विवरण	कर की दर	अनुसूची की प्रविष्टि संख्या			बिक्री का आवर्त
			अनुसूची का नाम	अनुसूची का भाग, यदि कोई हो	प्रविष्टि संख्या	
1						
2						
3						
कुल						

बॉक्स-G (विनिर्माता तथा कार्य संविदाकार व्यवहारियों द्वारा क्रय के ब्यौरे)

मेटेरियल्स	राज्य के अंदर से	राज्य के बाहर से	कुल
कच्चा माल			
पैकिंग मेटेरियल			
प्लान्ट तथा मशीनरी			
कुल			

बॉक्स H (वस्तुवार बिक्री का विवरण जैसा कि क्रमांक 9(i)(छ) में उल्लेखित है।)

क्र० सं०	अनुसूची IV के वस्तु का नाम (अनुसूची IV के क्रमांक 1 से 6 को छोड़कर)	कर की दर	वस्तुवार बिक्री का मूल्य एवं भुगतये कर					कुल भुगतये कर [6+(7-8)]
			केवल बिक्री के प्रथम बिन्दु पर करारोपण होने वाले वस्तुओं की कुल बिक्री	बिक्री के सभी बिन्दुओं पर करारोपण होने वाले वस्तुओं की कुल बिक्री	स्तम्भ - 4 पर कुल कर	स्तम्भ - 5 पर कुल कर	नियम 10क के अन्तर्गत कर का सामंजन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
	कर							

बॉक्स- I [वैट, केन्द्रीय बिक्री कर एवं प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत मासिक कर भुगतान का विवरण]

क्र० सं०	माह का नाम	अधिनियम का नाम (वैट/सी०एस० टी०/प्रवेश कर)	माह का आउटपुट कर यदि कोई हो	माह का इनपुट टैक्स यदि कोई हो	माह में भुगतेय कर यदि कोई हो	भुगतान की गयी कर की राशि	भुगतान की गयी ब्याज की राशि	कर भुगतान की तिथि	चलान सं०
1									
2									
3									
कुल									

मैं घोषणा करता हूँ कि इस रिटर्न एवं विभिन्न बॉक्स में दिये गये विवरण सत्य एवं पूर्ण लेखाओं पर आधारित हैं।

मैं आगे घोषणा करता हूँ कि इस रिटर्न में दिये गये विवरण एवं दी गई विशिष्टियाँ एक निबंधित व्यवसायी के रूप में मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास में सही एवं पूर्ण है तथा मैं इस रिटर्न को हस्ताक्षरित करने एवं दाखिल करने हेतु सर्वथा योग्य हूँ।

स्थान :

तिथि :

प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर,"

व्यवसायी से प्रास्थिति

8. बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 से संलग्न फारम **RT-V** का प्रतिस्थापन—बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 से संलग्न फारम **RT-V** निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा—

“फारम –RT-V

[देखें नियम 19 (4)]

बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-24 के अधीन संशोधित त्रैमासिक विवरणी

व्यवहारी का नाम एवं अधिनाम –

करदाता पहचान संख्या (TIN) –

विवरणी की अवधि (त्रैमास एवं वर्ष) –

भाग –I (व्यापारावर्त/अंतरणों के ब्यौरे)

1	सकल आवर्त (डेबिट नोट के मूल्य सहित)	
	कटौतियाँ :	
2	अन्तर्प्रान्तीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में की गयी बिक्री	
3(i)	केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम, 1956 की धारा-4 के अधीन राज्य के बाहर बिक्री का मूल्य	
3(ii)	राज्य के बाहर प्रेषित किए गए भंडार अंतरण का मूल्य	
4	अधिनियम के अधीन बिक्री के छः माह के भीतर विक्रय वापसी का मूल्य	
5	निर्यात बिक्री	
6	अन्य स्वीकार्य कटौतियाँ (बाक्स A के अनुसार)	
7	कुल कटौतियों की राशि (2+3+4+5+6)	
8	कराधेय आवर्त (1-7)	

भाग -II (आउटपुट टैक्स)

कर वार आउटपुट टैक्स का विभाजन

9	बिक्री का विवरण	कर की दर	बिक्री का आवर्त	भुगतय कर
(i)(क)	एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी/व्यक्ति को पेट्रोल की बिक्री (व्यवहारी वार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स E-Iके अनुसार दिया जाय)			
(i)(ख)	एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी/व्यक्ति को एच०एस०डी० एवं एल०डी०ओ० की बिक्री (व्यवहारी वार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स E-Iके अनुसार दिया जाय)			
(i)(ग)	एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी/व्यक्ति को ए०टी०एफ० की बिक्री (व्यवहारी वार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स E-Iके अनुसार दिया जाय)			
(i)(घ)	एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी/व्यक्ति को प्राकृतिक गैस की बिक्री (व्यवहारी वार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स E-I के अनुसार दिया जाय)			
(i)(ङ.)	देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की बिक्री			
(i)(च)	देश के बाहर से आयात किये गये अथवा भारत में निर्मित पोटेबल स्पीट, शराब अथवा लिकर की बिक्री			
(i)(छ)	अनुसूची IVके क्रमांक 1 से 6 को छोड़कर अनुसूची IVके अन्य वस्तुओं की बिक्री (बॉक्स I के अनुसार ब्यौरे दें)			
(i)(ज)	निर्दिष्ट अन्य			
(ii)	अनुसूची II में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स G के अनुसार दर्शाया जाये)	1 प्रतिशत		
(iii)(क)	अनुसूची IIIक में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स G के अनुसार दर्शाया जाये)	5 प्रतिशत		
(iii)(ख)	अनुसूची IIIक में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स G के अनुसार दर्शाया जाये)	5 प्रतिशत		
(iii)(ग)	अनुसूची IIIक में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स G के अनुसार दर्शाया जाये)	6 प्रतिशत		
(iv)(क)	ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं हैं	13.5 प्रतिशत		
(iv)(ख)	ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं हैं	14.5 प्रतिशत		
(iv)(ग)	ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं हैं	15 प्रतिशत		
(v)	धारा-13 (1) के अधीन वस्तुओं की कुल बिक्री {(ii)+(iii)(क)+(iii)(ख)+(iii)(ग)+(iv)(क)+(iv)(ख)+(iv)(ग)} [व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स B के अनुसार दिया जाय]			
(vi)	वैसी वस्तुओं की बिक्री राषि जिनके संबंध में धारा-15(5)(क) के अधीन इस विवरणी को दाखिल करने वाले व्यवहारी द्वारा अधिकतम बिक्री मूल्य पर कर का भुगतान किया जा चुका है। (व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स Jके अनुसार दिया जाय)			
(vii)	क्रय कर का दायी आवर्त			
(viii)	अधिकायी रिवर्स क्रेडिट (14-13) यदि 13 से 14 ज्यादा है।			

9	बिक्री का विवरण	कर की दर	बिक्री का आवर्त	भुगतेय कर
(ix)	अधिक वसूल की गयी कर राशि = विक्रय वापसी की राशि x (वर्तमान कर दर-ऐसी विक्री के समय प्रभावी कर दर)			
10	कुल आउटपुट टैक्स [(i)(क)+(i)(ख)+(i)(ग)+(i)(घ)+(i)(ङ.)+(i)(च)+(i)(छ)+(i)(ज)+(v)+(vi)+(vii)+(viii)+(ix)]			

भाग-III (खरीद/प्राप्ति का ब्यौरा)

11.	तिमाही के दौरान खरीद/प्राप्ति का मूल्य	धारा-15 (5) के अधीन अधिसूचित वस्तुएँ *	अनुसूची-IV में वर्णित वस्तुएँ	अनुसूची-I की वस्तुएँ	अन्य कर योग्य वस्तुएँ						कुल	
					1%	5% (अनु०-III A)	5% (अनु०-III)	6% (अनु०-III)	13.5%	14.5%		15%
(i)	राज्य के अन्दर से क्रय (व्यवहारीवार खरीद का ब्यौरा बॉक्स C के अनुसार संलग्न करें)											
(ii)	राज्य के बाहर से क्रय											
(iii)	राज्य के अन्दर से स्टॉक अंतरण-प्राप्तियाँ											
(iv)	राज्य के बाहर से स्टॉक अंतरण-प्राप्तियाँ											
12.	कुल खरीद/प्राप्ति											

*धारा-15(5) के अधीन अधिसूचित वस्तुओं की बिक्री का व्यवहारीवार ब्यौरा बॉक्स K में दाखिल करें।

भाग-IV (इनपुट टैक्स क्रेडिट एवं भुगतेय कर)

		मूल्य	कर
13	तिमाही के दौरान व्यवहारी द्वारा क्रय पर चुकाया गया निविष्ट कर (जिसमें विनिर्माता के मामले में क्रय कर भी शामिल है।) -		
14	रिवर्स क्रेडिट (बॉक्स D के अनुसार) -		
15	नियम 12 के अधीन पूंजीगत निवेश के बारे में निविष्ट कर जमा -		
16	गत तिमाही से अग्रणीत असमायोजित निविष्ट कर जमा-		
17	त्रैमास के लिए कुल निविष्ट कर जमा [(13-14)+15+16] -		
18	धारा-24(12) के अधीन छूट (केवल यदि 17 से 10 अधिक होने पर दावा-किया जायेगा एवं 10-17 पर संगणित की जायेगी) -		
19	धारा-3क के अधीन भुगतेय अधिभार -		
20	धारा-3कक के अधीन भुगतेय अतिरिक्त कर -		
21	आउटपुट टैक्स, अधिभार एवं अतिरिक्त कर का कुल योग (छूट को घटाकर) [(10-18)+19+20] -		

		मूल्य	कर
22(i)	तिमाही के लिए भुगतेय वैट (21-17) यदि 17 से 21 अधिक है -		
22(ii)	भुगतेय ब्याज		
22(iii)	तिमाही के लिए भुगतेय कर की कुल राशि [22(i)+22(ii)]		
23	असमायोजित निविष्ट कर (17-21) यदि 21 से 17 अधिक है -		
24(i)	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन स्वीकृत कर		
24(ii)	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन देय कर से असमायोजित निविष्ट कर का सामंजन -		
24(iii)	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन भुगतेय कर, यदि कोई हो [24(i)-24(ii)]		
25(i)	अग्रनीत निविष्ट कर जमा [23-24(ii)] यदि 24(ii) से 23 अधिक है -		
25(ii)	त्रैमास के माह/माहों में भुगतेय कर की सीमा तक भुगतान किया गया वैट-		
25(iii)	कुल अग्रनीत निविष्ट कर जमा [25(i)+25(ii)]		

भाग-V (भुगतान का ब्यौरा)

26	भुगतान का ब्यौरा (बॉक्स - L में वैट एवं प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत किये गये भुगतान का ब्यौरा दर्शाया जाये)-	
(i)	प्रवेश कर के सामंजन द्वारा, यदि कोई हो-	
(ii)	क्रय कर के भुगतान द्वारा, यदि कोई हो (केवल विनिर्माता के मामले में)	
(iii)	धारा-3(7) के अधीन भुगतान किये गये अग्रिम कर के द्वारा, यदि कोई हो-	
(iv)	धारा-40 या 41 के अधीन अग्रिम कर की कटौती द्वारा (प्रमाण पत्र प्रपत्र C-II में संलग्न करें)-	
(v)	डिमांड ड्राफ्ट/चेक (संख्या, भुगतान की तिथि एवं निर्गमित करने वाले बैंक के नाम निर्दिष्ट करें)	
(vi)	नगद	
(vii)	उसी वित्तीय वर्ष के किसी पूर्ववर्ती माह में अधिक भुगतान की गयी राशि के समायोजन द्वारा (ऐसी अधिक राशि की संगणना एवं उसके भुगतान के ढंग का ब्यौरा दें)-	
(viii)	कोई अन्य ढंग, यथा आस्थगन इत्यादि (ढंग विनिर्दिष्ट करें)	
(ix)	आगामी त्रैमास में अग्रनीत अधिकारी कर भुगतान	

मैं घोषणा करता हूँ कि इस विवरणी में दिये गये विवरण सत्य एवं पूर्ण लेखाओं पर आधारित है एवं कॉलम 22 में उपदर्शित भुगतेय कर का भुगतान, कोषागार चालान के माध्यम से अथवा कॉलम 26 में उपदर्शित ढंग से कर दिया गया है तथा चालान एवं/अथवा प्रपत्र C-II में कटौती प्रमाण-पत्र, उक्त भुगतान/कटौती के संबंध में साक्ष्य के रूप में इसके साथ संलग्न है।

मैं आगे घोषित करता हूँ कि इस रिटर्न में दिये गये विवरण एवं इस रिटर्न में एवं इसके साथ दी गई विशिष्टियाँ एक बिक्री कर निबंधित व्यवसायी के रूप में मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास में सही एवं पूर्ण है तथा मैं इस विवरणी को हस्ताक्षरित करने एवं दाखिल करने हेतु सर्वथा योग्य हूँ।

स्थान :

तिथि :

प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर
(व्यवसायी के संबंध में प्रास्थिति)

बॉक्स A (अन्य स्वीकार्य कटौतियाँ)

निम्नलिखित के बारे में कटौतियाँ :-		मूल्य
(i)	अधिनियम की अनुसूची-I में उल्लिखित वस्तुओं की बिक्री	
(ii)	एक ऑयल कंपनी द्वारा अन्य ऑयल कंपनी को पेट्रोल, डीजल, ए0टी0एफ0 एवं प्राकृतिक गैस की बिक्री (इस रिटर्न के साथ विभिन्न वस्तुओं की, उनके संबंधित बिक्री मूल्य के साथ-साथ पृथक रूप से एक सूची संलग्न करें)। (विभिन्न कंपनियों को बेची गयी वस्तुओं का ब्यौरा बॉक्स E-2 के अनुसार प्रस्तुत किया जाय)	
(iii)	बिहार राज्य के भीतर भंडार अंतरण का मूल्य-	
(iv)	कार्य संवेदक के मामले में श्रम एवं अन्य प्रभार की राशि -	
(v)	धारा-15(5) के आलोक में ऐसी वस्तुओं की बिक्री जिसपर खरीद के समय, अधिकतम खुदरा मूल्य पर कर का भुगतान किया गया है -	
(vi)	अधिनियम की धारा-13(2)(ख) के अधीन मालों की बिक्री जिस पर बिक्री के प्रथम बिन्दु पर कर का भुगतान किया गया है (इस रिटर्न के साथ विभिन्न वस्तुओं की उनके संबंधित बिक्री मूल्य के साथ-साथ पृथक रूप से एक सूची संलग्न की जाय) -	
(vii)	अनुसूची v में विनिर्दिष्ट संगठनों को बिक्री -	
	कुल [(i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)+(vii)] (रिटर्न के क्रम सं० 6 पर ले जायें)	

बॉक्स B (व्यवहारीवार करदेय बिक्री का विवरण जैसा कि भाग-II के क्रमांक 9(v) में उल्लेखित है।)

I-निबंधित व्यवहारी को बिक्री :

क्र० सं०	निबंधित व्यवहारी का नाम एवं अधिनाम जिसको बिक्री की गयी है	करदाता पहचान संख्या	बिक्री का मूल्य									
			1%	5% (अनु०-III A)	5% (अनु०-III)	6% (अनु०-III)	13.5%	14.5%	15%	मुफ्त आपूरित वस्तुएँ	कुल	
1												
2												
3												
कुल												

(नोट: यदि अपेक्षित हो अतिरिक्त पन्नों का व्यवहार करें)

II-अनिबंधित व्यवहारी को बिक्री :

क्र० सं०	अनिबंधित व्यवहारी का नाम एवं अधिनाम जिसको बिक्री की गयी है	पूरा पता	बिक्री का मूल्य									
			1%	5% (अनु०-III A)	5% (अनु०-III)	6% (अनु०-III)	13.5%	14.5%	15%	मुफ्त आपूरित वस्तुएँ	कुल	
1												
2												
3												
कुल												

(नोट: यदि अपेक्षित हो अतिरिक्त पत्रों का व्यवहार करें)

III- उपभोक्ताओं को बिक्री :

	बिक्री का मूल्य								
	1%	5% (अनु०-III A)	5% (अनु०-III)	6% (अनु०-III)	13.5%	14.5%	15%	मुफ्त आपूरित वस्तुएँ	कुल
उपभोक्ताओं को कुल बिक्री :									

बॉक्स C [अनुसूची I एवं एम०आर०पी० वस्तुओं को छोड़कर अन्य कर योग्य वस्तुओं का व्यवहारीवार क्रय जैसा कि भाग-III के क्रमांक 11(i) में उल्लेखित है।]

I-निबंधित व्यवहारी से क्रय :

क्र० सं०	निबंधित व्यवहारी का नाम एवं अधिनाम जिससे क्रय किया गया है	करदाता पहचान संख्या	क्रय का मूल्य									
			अनुसूची IV की वस्तुएँ	1%	5% (अनु०-III A)	5% (अनु०-III)	6% (अनु०-III)	13.5%	14.5%	14.5%	मुफ्त आपूरित वस्तुएँ	कुल
1												
2												
3												
4												
कुल												

(नोट: यदि अपेक्षित हो, अतिरिक्त पत्रों का व्यवहार करें)

II-अनिबंधित व्यवहारी/व्यवहारी से भिन्न व्यक्ति से क्रय :

क्र० सं०	अनिबंधित व्यवहारी का नाम एवं अधिनाम जिससे क्रय किया गया है	पूरा पता	क्रय का मूल्य							मुफ्त आपूरित वस्तुएँ	कुल
			1%	5% (अनु०-III A)	5% (अनु०-III)	6% (अनु०-III)	13.5%	14.5%	15%		
1											
2											
3											
4											
कुल											

(नोट: यदि अपेक्षित हो, अतिरिक्त पत्रों का उपयोग करें)

बॉक्स-D (रिवर्स क्रेडिट)

	निम्नलिखित के कारण प्रतिलोम जमा (रिवर्स क्रेडिट) :	मूल्य	कर
(i)	विनिर्माता व्यवहारी के मामले में पूर्ववर्ती वर्ष का इनपुट-आउटपुट अनुपात (नियम 15 के अनुसार "K")		
(ii)	राज्यान्तर्गत भंडार अंतरण		
(iii)	अन्तर्प्रान्तीय भंडार अंतरण		
(iv)	इस विवरणी को दाखिल करने वाले व्यवहारी द्वारा की गयी खरीद वापसी -		
(v)	वस्तुओं, उपहार अथवा स्व-उपभोग के अधिकार का अंतरण-		
(vi)	अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री		
(vii)	अनुसूची I में विनिर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री		
(viii)	चोरी हुई, खो गयी अथवा बर्बाद हो गयी वस्तुओं का मूल्य, यदि कोई हो		
(ix)	खरीद मूल्य से कम कीमत पर बेचे गये माल		
(x)	कुल प्रतिलोम जमा (रिवर्स क्रेडिट) (रिटर्न के कॉलम 14 पर ले जाया जाय)		

बॉक्स-E-1/E-2 (पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस एवं ए0टी0एफ0 की व्यवहारी वार बिक्री) बॉक्स E-1 के योग वस्तुवार कॉलम 9(i)कसे 9(i)घ पर ले जायें एवं बॉक्स- E-2 का योग बॉक्स के A कॉलम (ii) पर ले जायें

क्र० सं०	व्यवहारी का नाम एवं अधिनाम जिसको बिक्री की गयी है	करदाता पहचान सं०की बिक्रीयों का मूल्य				
			पेट्रोल	डीजल	प्राकृतिक गैस	ए0टी0 एफ0	कुल
1							
2							
3							
कुल							

बॉक्स-F (दावों के समर्थन में जमा किये गये वैधानिक प्रपत्र/घोषणापत्र/प्रमाण पत्र का ब्यौरा)

क्र० सं०	प्रपत्रों का विवरण	प्रपत्रों की संख्या	अवधि जिससे संव्यवहार संबंधित हैं	प्रपत्रों का मूल्य
1	C-II			
2	D-III			
3	D-IV			
4	D-V			
5	D-XI			
6	C			
7	EI/EII			
8	F			
9	H			
10	I			
11	J			

बॉक्स-G [वस्तुवार बिक्री का विवरण जैसा कि पार्ट-II के क्रमांक 9 (ii) से 9(iii) तक में उल्लेखित है।]

क्र० सं०	वस्तु का विवरण	कर की दर	अनुसूची की प्रविष्टि संख्या			बिक्री का आवर्त
			अनुसूची का नाम	अनुसूची का भाग, यदि कोई हो	प्रविष्टि संख्या	
1						
2						
3						
कुल						

(नोट:-यदि अपेक्षित हो, अतिरिक्त पत्रों का उपयोग करें)

बॉक्स-H (विनिर्माता तथा कार्य संविदाकार व्यवहारियों द्वारा क्रय के ब्यौरे)

मेटेरियल	राज्य के अंदर से	राज्य के बाहर से	कुल
कच्चा माल			
पैकिंग मेटेरियल			
प्लान्ट तथा मशीनरी			
कुल			

बॉक्स I (वस्तुवार बिक्री का विवरण जैसा कि क्रमांक 9(i) (छ) में उल्लेखित है।)

क्र० सं०	अनुसूची IV के वस्तु का नाम (अनुसूची IV के क्रमांक 1 से 6 को छोड़कर)	कर दर	वस्तुवार बिक्री का मूल्य एवं भुगतेय कर					कुल भुगतेय कर [6+(7-8)]
			केवल बिक्री के प्रथम बिन्दु पर करारोपण होने वाले वस्तुओं की कुल बिक्री	सभी बिन्दुओं पर भुगतेय कर वाले वस्तुओं की कुल बिक्री	स्तम्भ - 4 पर कुल कर	स्तम्भ - 5 पर कुल कर	नियम 10क के अन्तर्गत कर का सामंजस्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
कुल								

बॉक्स J (व्यवहारीवार एम०आर०पी० वस्तुओं की बिक्री का विवरण जैसा कि क्रमांक 9(vii) में उल्लेखित है।)

(i) निबंधित व्यवहारी को बिक्री :

क्र० सं०	निबंधित व्यवहारी का नाम एवं अधिनाम जिसको बिक्री की गयी है	करदाता पहचान संख्या	एम०आर०पी० वस्तुओं का मूल्य							
			अनुसूची III के मालों की बिक्री		अविनिर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री		कुल		मुफ्त आपूर्तित वस्तु	
			व्यापार मूल्य	एम० आर० पी० मूल्य	व्यापार मूल्य	एम० आर० पी० मूल्य	व्यापार मूल्य	एम० आर० पी० मूल्य	व्यापार मूल्य	एम० आर० पी० मूल्य
1										
2										
3										
4										
कुल										

(नोट:—यदि अपेक्षित हो, अतिरिक्त पत्रों का उपयोग करें)

(ii) अनिबंधित व्यवहारी को बिक्री :

क्र० सं०	व्यवहारी का नाम एवं अधिनाम जिसको बिक्री की गयी है	पूर्ण पता	एम०आर०पी० वस्तुओं का मूल्य							
			अनुसूची III के मालों की बिक्री		अविनिर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री		कुल		मुफ्त आपूर्तित वस्तु	
			व्यापार मूल्य	एम० आर० पी० मूल्य	व्यापार मूल्य	एम० आर० पी० मूल्य	व्यापार मूल्य	एम० आर० पी० मूल्य	व्यापार मूल्य	एम० आर० पी० मूल्य
1										
2										
3										
4										
कुल										

(नोट:—यदि अपेक्षित हो, अतिरिक्त पत्रों का उपयोग करें)

(iii) उपभोक्ताओं को बिक्री :

	एम०आर०पी० वस्तुओं का मूल्य							
	अनुसूची III के मालों की बिक्री		अविनिर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री		कुल		मुफ्त आपूर्तित वस्तु	
उपभोक्ताओं को बिक्री	व्यापार मूल्य	एम० आर० पी० मूल्य	व्यापार मूल्य	एम० आर० पी० मूल्य	व्यापार मूल्य	एम० आर० पी० मूल्य	व्यापार मूल्य	एम० आर० पी० मूल्य

कुलएम०आर०पी०बिक्री (i)+(ii)+(iii) = रु०.....

बॉक्स K (धारा 15(5) के अन्तर्गत राज्य के अन्दर एम०आर०पी०वस्तुओं का भंडार अंतरण तथा खरीद से प्राप्त मालों का व्यवहारीवार विवरण जैसा कि क्रमांक 11 में उल्लेखित है।)

निबंधित व्यवहारी से खरीद/प्राप्त भंडार अंतरण:

क्र० सं०	निबंधित व्यवहारी का नाम एवं अधिनाम जिनसे खरीद/भंडार प्राप्त किया गया है।	करदाता पहचान संख्या	एम०आर०पी० वस्तुओं का क्रय/प्राप्ति मूल्य							
			अनुसूची III के मालों की खरीद/प्राप्त भंडार		अविनिर्दिष्ट वस्तुओं की खरीद/प्राप्त भंडार		कुल		मुफ्त आपूर्तित वस्तु	
			व्यापार मूल्य	एम० आर० पी० मूल्य	व्यापार मूल्य	एम० आर० पी० मूल्य	व्यापार मूल्य	एम० आर० पी० मूल्य	व्यापार मूल्य	एम० आर० पी० मूल्य
1										
2										
3										
कुल										

(नोट:—यदि अपेक्षित हो, अतिरिक्त पन्नों का उपयोग करें)

बॉक्स- L [वैट एवं प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत मासिक कर भुगतान का विवरण]

क्र० सं०	माह का नाम	अधिनियम का नाम (वैट/प्रवेश कर)	माह का आउटपुट कर यदि कोई हो	माह का इनपुट टैक्स यदि कोई हो	माह में भुगतेय कर यदि कोई हो	भुगतान की गयी कर की राशि	भुगतान की गयी ब्याज की राशि	कर भुगतान की तिथि	चलान सं०
1									
2									
3									
कुल									

मैं घोषणा करता हूँ कि इस रिटर्न एवं विभिन्न बॉक्स में दिये गये विवरण सत्य एवं पूर्ण लेखाओं पर आधारित हैं।

मैं आगे घोषणा करता हूँ कि इस रिटर्न में दिये गये विवरण एवं दी गई विशिष्टियाँ एक निबंधित व्यवसायी के रूप में मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास में सही एवं पूर्ण है तथा मैं इस रिटर्न को हस्ताक्षरित करने एवं दाखिल करने हेतु सर्वथा योग्य हूँ।

स्थान :

तिथि :

प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर"

व्यवसायी से प्रास्थिति

9. यह अधिसूचना इसके निर्गमन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[सं०सं० बिक्री-कर/संशोधन-07/2016-3695]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान-सचिव।

28 सितम्बर 2016

एस०ओ० 243, एस०ओ० 242 दिनांक 28 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं०सं० बिक्री-कर/संशोधन-07/2016-3696]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान-सचिव।

The 28th September 2016

S.O. 242, dated 28th September 2016—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 93 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) the Governor of Bihar is pleased to make the following rules to amend the Bihar Value Added Tax Rules, 2005 (as amended from time to time) :-

1. Short title, extent and commencement.— (1) These rules may be called the Bihar Value Added Tax (amendment) Rules, 2016.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. Addition of clause (j) in sub-rule (3) of Rule 18 of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005.— After clause (i) of sub rule (3) of Rule-18 of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005, the following new clause (j) shall be inserted-

"(j) In case of developer, cost of land as specified in prescribed manner."

3. Insertion of sub-rule (3A) in the Rule 18 of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005.—After sub-rule (3) of Rule 18 of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005, the following new sub-rule (3A) shall be inserted:-

"(3A) Subject to the provision contained in clause (cc) of sub-section (1) of Section 35 of the Act, where the contractor does not maintain proper accounts or the amount actually incurred towards charge for labour and other services and other items mentioned in clause (c) of sub-section (1) of Section 35 of the Act read with sub-rule (3) can not be ascertained from the accounts maintained by him, the prescribed authority, on the basis of nature of works contract may allow deductions on account of labour and services equal to the percentage shown in the following table :-

Sl. No.	Nature of contract	Deduction for Labour and Services (in percentage)
(1)	Contracts in which only labour and services are involved	100
(2)	(a) Earthwork in all types of soil in all works on canals, roads, embankments, dams etc. by machines. (b) Construction of earth dams with earth moving machines.	20 25
(3)	(a) Construction of masonry/concrete dams, barrages, bridges, water towers and P.H.E.D. installations and lift irrigation installation, etc. (b) Stone masonry in dams and other such works.	30 35
(4)	Construction of canal structures and lining of canals.	30
(5)	(a) Construction of pucca roads (excluding earthwork) (b) Construction of pucca roads (including earthwork in formation of new road)	15 25
(6)	River training and flood protection work involving boulder and brick pitching (excluding earthwork)	40
(7)	In the case of electrical contracts.	20
(8)	In the case of structural contracts.	30
(9)	In the case of sanitary contracts.	33
(10)	In the case of re-treading contracts.	50
(11)	In the case of textile dyeing and printing works contracts.	50
(12)	In the case of Photography and printing contracts.	30
(13)	In the case of sculptural contract or contracts relating to arts.	70
(14)	In the case of refrigeration, air conditioning or, other machinery, rolling shutter, cranes installation contracts. Installation of Plant and Machinery	15
(15)	Construction of all types of buildings	30

Sl. No.	Nature of contract	Deduction for Labour and Services (in percentage)
(16)	Fixing of marble slabs, polished granite stones and tiles (other than mosaic tiles)	25
(17)	Fabrication and installation of elevators (lifts) and escalators.	15
(18)	Installation of doors, doorframes, windows, frames and grills.	15
(19)	Supply and fixing of furniture and fixtures, partitions including contracts for interior decoration and false ceiling, installation of modular kitchen.	15
(20)	Manufacturing/fabrication of Railway coaches and wagons on under carriage supplied by Railway.	20
(21)	Fabrication or mounting of bodies of motor vehicle and trailers.	20
(22)	Installation of weighing machines and weighbridges.	15
(23)	Painting, polishing and white washing.	30
(24)	Electroplating, Electro Galvanizing and Anodizing and the like	40
(25)	In the case of other contracts.	30

4. Insertion of Rule 18B in the Bihar Value Added Tax Rules, 2005.— After Rule-18A of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005, the following new Rule-18B shall be inserted:-

"18B. Manner of determination of cost of land in case of developer-

The cost of the land shall be determined in accordance with the guidelines determined by the State Government for the purpose of payment of stamp duty in respect of registration of transfer of such land:

Provided that after payment of the tax of the value of the goods determined as per this rule, it shall be open to the dealer to prove before the prescribed authority that actual cost of land is higher than the value determined by the State Government authority for the purpose of payment of stamp duty for registration of land and the actual cost of land, being proved to be higher, the higher cost of land will be deductible and the excess tax paid, if any, shall be refunded/adjusted.

5. Amendment in Rule 29 of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005.—Sub-rule (2) of Rule 29 of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005 shall be substituted by the following, namely:-

(2)(i) Such deduction shall be made from payments purporting to be the full or part payment of the sale price, being made in respect of all contracts executed, whether in part or in full, after commencement of this Act:

Provided that no deduction shall be made on account of the payment pertaining to labour and service charges for execution of the works contract:

Provided also that no deduction shall be made on account of goods or transactions exempted under section 6 or section 7 of the Act,

(ii) For the purpose of first proviso of clause (i) of sub-rule (2), for every payment purporting to be the full or part payment of sale price being made in in respect of all contracts executed, deduction on account of labour and service charges shall be allowed in proportion to the value quoted for labour and services to the total value of contract, shown in Detail Project Report or Bill of Quantity or copy of agreement or such other document available for a particular contract.

(iii) Where, the Detail Project Report or Bill of Quantity or copy of agreement or such other documents regarding the contract are not available, or where, proportion of labour and service charges to the total contract price is not ascertainable from the documents, deduction on account of labour and services, for different nature of contract shall be computed according to percentage as specified in the table appended to sub-rule (3A) of Rule 18.

(iv) Advance tax shall be deducted at the prescribed rate on the amount which remains after the deduction made on account of labour and service charges in

execution of works contract as specified in clause (ii) or clause (iii) of sub- rule (2) and goods or transactions exempted under section 6 or section 7 of the Act:

Provided further that the amount deducted during a year shall be refunded, in accordance with the provisions of section 68, to the person from whose bills such deductions are made if he does not become liable to tax during the year during which the said deductions were made:

Provided also that no such refund shall be made unless the person claiming the refund files, before the Circle Incharge, an application in form A- XIII after the end of the financial year during which the deduction or deductions, as the case may be, were made.

6. Substitution of Form RT-I appended to the Bihar Value Added Tax Rule, 2005.— Form RT-I appended to the Bihar Value Added Tax Rules, 2005 shall be substituted by the following form RT-I, namely;-

**“ Form RT– I
[See Rule 19(2)]**

Quarterly Return under section 24 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005

Name and style of the dealer:

TIN:

Period of Return (Quarter and Year):

Part I (Details of turnover/transfers)

1	Gross Turnover (including value of debit notes):	
	Deductions:	
2	Sales in the course of inter-state trade and commerce	
3(i)	Value of sales outside the state under section 4 of the Central Sales Tax Act, 1956	
3(ii)	Value of stock transfer to outside the state	
4	Value of sales return of goods within 6 months of sale under the Act	
5	Export sales	
6	Amount of other allowable deductions [As per Box A]	
7	Total of deductions [2+3+4+5+6]	
8	Taxable turnover [1-7]	

Part II (Output tax)

Rate wise bifurcation of output tax:

9	Description of sale	Rate of tax	Turnover of sale	Tax payable
(i)(a)	Sale of Motor Spirit by an Oil Company to a dealer/person other than an Oil Company (Details of dealer wise sales to be furnished as per Box E-1)			
(i)(b)	Sale of HSD Oil and Light Diesel Oil by an Oil Company to a dealer/person other than an Oil Company (Details of dealer wise sales to be furnished as per Box E-1)			
(i)(c)	Sale of ATF by an Oil Company to a dealer/person other than an Oil Company (Details of dealer wise sales to be furnished as per Box E-1)			
(i)(d)	Sale of Natural Gas by an Oil Company to a dealer/person other than an Oil Company (Details of dealer wise sales to be furnished as per Box E-1)			
(i)(e)	Sale of Country Liquor/Spiced Country Liquor			
(i)(f)	Sale of Potable Spirit, wine or liquor whether imported from other countries or manufactured in India			
(i)(g)	Sale of other schedule IV goods (except sl. no.1 to 6 of schedule IV) [Details to be furnished as per Box I]			
(i)(h)	Others specify			
(ii)	Goods specified in Schedule II (goods wise sales to be furnished as per box G)	1%		
(iii) (a)	Goods specified in Schedule IIIA (goods wise sales to be furnished as per box G)	5%		
(iii) (b)	Goods specified in Schedule III (goods wise sales to be furnished as per box G)	5%		
(iii) (c)	Goods specified in Schedule III (goods wise sales to be furnished as per box G)	6%		
(iv) (a)	Goods not specified in any of the schedule	13.50%		
(iv) (b)	Goods not specified in any of the schedule	14.50%		
(iv) (c)	Goods not specified in any of the schedule	15%		
(v)	Total sales of goods u/s 13(1)= {(ii)+(iii)(a)+(iii)(b)+(iii)(c)+(iv)(a)+(iv)(b)+(iv)(c)} [Details of dealer wise sales to be furnished as per Box B]			
(vi)	Sale of such goods in respect of which tax on MRP has been paid by the dealer filing this return in terms of section 15(5)(a) [Details of dealer wise sales to be furnished as per Box J]			
(vii)	Turnover liable to Purchase tax			
(viii)	Excess of reverse credit [14-13] if 14 is greater than 13			
(ix)	Excess tax realised = Value of Sales Return x (Current rate of tax-Rate of tax at the time of such sales)			
10	Total Output tax [(i)(a)+(i)(b)+ (i)(c)+(i)(d)+ (i)(e)+(i)(f)+ (i)(g)+(i)(h)+ (v)+(vi)+(vii)+(viii)+ (ix)			

Part III (Details of purchases/receipts)

11	Value of Purchase/receipts during the quarter:	Goods notified u/s 15(5)*	Schedule IV goods	Schedule I goods	Other taxable goods						Total	
					1%	5% (Sch-III A)	5% (Sch-III)	6% (Sch-III)	13.5%	14.5%		15%
(i)	Purchases from within the state <i>[Details of dealer wise purchases to be submitted as per Box C]</i>											
(ii)	Purchase from outside the state	—										
(iii)	Stock transfer receipts from within the state											
(iv)	Stock transfers receipts from outside the state	—										
12	Total of Purchase/receipts											

*Furnish dealer wise purchase/receipt of goods within the state notified under section 15(5) as per Box 'K'

Part IV (Input Tax Credit and Tax payable)

		Value	Tax
13	Input tax (including purchase tax in case of manufacturers) paid by the dealer on purchases during the quarter		
14	Reverse Credit [As per Box D]		
15	Input tax credit on account of capital goods under rule 12		
16	Unadjusted Input tax credit brought forward from previous quarter		
17	Total Input tax credit for the quarter [(13-14)+15+16]		
18	Rebate under section 24(12) [to be claimed only if 10 is greater than 17 and to be computed on 10-17]		
19	Surcharge payable under section 3A		
20	Additional Tax payable under section 3AA		
21	Total of output tax, surcharge and additional tax (net of rebate)[(10-18)+19+20]-		
22(i)	VAT payable for the quarter [21-17] if 21 is greater than 17		
22(ii)	Interest payable		
22(iii)	Total tax payable for the quarter [22(i)+22(ii)]		
23	Unadjusted input tax credit [17-21] if 17 is greater than 21		
24(i)	Central Sales Tax admitted		
24(ii)	Adjustment of unadjusted input tax credit from liability under CST Act, 1956		
24(iii)	Central Sales Tax payable, if any [24(i)-24(ii)]		

		Value	Tax
25(i)	Input tax credit carried forward [23-24(ii)] if 23 is greater than 24(ii)		
25(ii)	Vat paid to the extent of VAT payable in the month/months of the quarter		
25(iii)	Total input tax credit carried forward [25(i)+25(ii)]		

Part V (Payment Details)

26	<u>Payment details: (Tax paid under VAT and Entry tax shall be furnished as per box L)</u>	
(i)	By way of entry tax set-off, if any	
(ii)	By way of purchase tax paid (in case of a manufacturer only)	
(iii)	By way of advance tax, if any, paid under section 3(7)	
(iv)	By way of advance deduction under section 40 or 41 (attach certificate in form C-II)	
(v)	DD/cheque (specify number, dates of payments and name of issuing bank)	
(vi)	Cash	
(vii)	By way of adjustment on account of excess paid during any earlier month of the same financial year (give details of computation of such excess and the mode of its payment)	
(viii)	Any other mode eg. Deferment, etc. (specify mode)	
(ix)	Excess tax carried forward to the next quarter	

I declare that the statements furnished in this return are based upon true and complete accounts and tax payable as indicated in column 22 has been paid by Treasury challan or in the mode indicate in column 26 and that the challans and/or deduction certificates in form C-II in respect of the said payments/deductions are enclosed herewith by way of evidence.

I declare further that the statements made and particular furnished in and with this return in my capacity as a Sales tax Registered dealer are correct and complete to the best of my knowledge and belief, and that I am always competent to sign and submit this return.

Date:
Place:

Signature of authorised person
Status in relation to dealer

Box A (other allowable deductions)

	Deduction on account of:	Value
(i)	Sales of goods mentioned in Schedule I of the Act	
(ii)	Sale of Petrol, Diesel, ATF and Natural Gas by an Oil Company to another Oil Company (a list of different goods to be annexed to this return separately along with their respective sales values) [<i>Details of goods sold to different companies to be submitted as per Box E-2</i>]	
(iii)	Value of stock transfers within the state of Bihar	
(iv)	Amount of labour charges and other charges in case of a works contract	
(v)	Sales of goods on which tax has been paid on MRP at the time of their purchase in terms of section 15(5)	
(vi)	Sale of goods on which tax has been paid on the first point of sale u/s 13(2) (b) of the Act (a list of different goods to be annexed to this return separately alongwith their respective sales value)	

Box C [Dealer wise purchase of taxable goods within the state at line 11(i) above excluding Schedule I and MRP goods]

I. Purchases from registered dealers:

Sl. No.	Name and style of registered dealer from whom purchase is made	TIN	Value of purchases:									Goods received free of cost	Total
			Schedule IV goods	1%	5% (Sch-III A)	5% (Sch-III)	6% (Sch-III)	13.50%	14.50%	15%			
1													
2													
3													
4													
	Total												

(Note: Use additional sheets if required)

II. Purchases from unregistered dealers/Persons other than dealers:

Sl. No.	Name and style of unregistered dealer from whom purchase is made	Complete address	Value of purchases:									Goods received free of cost	Total
			1%	5% (Sch-III A)	5% (Sch-III)	6% (Sch-III)	13.50%	14.50%	15%				
1													
2													
3													
4													
	Total												

(Note: Use additional sheets if required)

Box D (Reverse credit)

	Reverse Credit on account of:	Value	Tax
(i)	Value of Input-Output ratio ("K" as per rule 15) of the previous year in case of a manufacturing dealer		
(ii)	Intra-state stock transfers		
(iii)	Inter-state stock transfers		
(iv)	Value of purchase return by the dealer filing this return		
(v)	Transfer of the right to use goods, gifts or self-consumption		
(vi)	Sale of goods specified in Schedule IV		
(vii)	Sale of goods specified in Schedule I		
(viii)	Value of goods stolen, lost, or destroyed, if any		
(ix)	Goods sold at a price lower than the corresponding purchase price		
(x)	Total Reverse Credit [to be taken to line 14 of the return]		

Box E-1/E-2 (Dealer wise sale of MS, HSD, Natural Gas and ATF) [Commodity wise total of Box E-1 to be taken to line 9(i)(a) to line 9(i)(d) and total of Box E-2 to be taken to line (ii) of Box A]

Sl. No.	Name and style of registered dealer to whom sale is made	TIN	Value of Sales of.....				
			MS	HSD	Natural Gas	ATF	Total
1							
2							
3							
4							
	Total						

Box F (Details of statutory Forms/Declarations/Certificates submitted in support of claims)

Sl. No.	Type of Form	Number of Forms	Period to which transaction relates	Value of Forms
1	C-II			
2	D-III			
3	D-IV			
4	D-V			
5	D-XI			
6	C			
7	EI/EII			
8	F			
9	H			
10	I			
11	J			

Box G [Details of goods wise sales mentioned in line 9(ii) to 9(iii) above]

Sl. No.	Description of goods	Rate of tax	Entry No. of Schedule			Turnover of sale
			Name of schedule	Part of schedule, if any	Entry No.	

(Note: Use additional sheets if required)

Box H (Details of Purchases by Works Contractors and Manufacturing Dealers)

Materials	From within the State	From outside the State	Total
Raw Materials			
Packing Materials			
Plant & Machinery			
Total			

Box I [Details of goods wise sales mentioned in line 9(i)(g) above]

Sl. No.	Name of Schedule-IV goods (except Sl.No. 1 to 6 of schedule-IV)	Rate of Tax	Value of goods wise sale and tax payable					
			Total sale of goods on which tax is leviable on first point of sale only	Total sale of goods on which tax is payable at each point of sale	Total tax on column - 4	Total tax on column - 5	Adjustment of tax under Rule 10A	Total tax payable [6+(7-8)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
Total								

Box J (Dealer wise sales of MRP goods mentioned in line 9(vi) above)

(i) Sales to registered dealers:

Sl. No.	Name and style of registered dealer to whom sale is made	TIN	Value of MRP goods								
			sale of Sch-III goods		sale of unspecified goods		Total		Goods supplied free of cost		
			Trade value	MRP Value	Trade value	MRP Value	Trade value	MRP Value	Trade value	MRP Value	
1											
2											
3											
4											
Total											

(Note: Use additional sheets if required)

(ii) Sales to unregistered dealers:

Sl. No.	Name and style of dealer to whom sale is made	Complete Address	Value of MRP goods							
			sale of Sch-III goods		sale of unspecified goods		Total		Goods supplied free of cost	
			Trade value	MRP Value	Trade value	MRP Value	Trade value	MRP Value	Trade value	MRP Value
1										
2										
3										
Total										

(Note: Use additional sheets if required)

(iii) Sale to consumers:

	Value of MRP goods							
	Sale of Sch-III goods		Sale of unspecified goods		Total		Goods supplied free of cost	
Total Sale to consumers	Trade value	MRP Value	Trade value	MRP Value	Trade value	MRP Value	Trade value	MRP Value

Total MRP sales (i)+(ii)+(iii) = Rs.....

Box K (Dealer wise purchases /receipt of MRP goods within the state under section 15(5) as per sl.No. 11

Sl. No.	Name and style of registered dealer from whom purchase/receipt is made	TIN	Value of purchase/receipt of MRP goods							
			purchase/receipt of Sch-III goods		purchase/receipt of unspecified goods		Total		Goods supplied free of cost	
			Trade value	MRP Value	Trade value	MRP Value	Trade value	MRP Value	Trade value	MRP Value
1										
2										
3										
Total										

(Note: Use additional sheets if required)

Box L [Details of monthwise payment of tax and interest under VAT, CST and Entry Tax]

Sl. No.	Name of Month	Name of the Act (VAT/CST/ET)	Output tax during month if any	Input tax during month if any	Tax payable in month if any	Amount of tax paid	Amount of interest paid	Date of payment	Challan No.
1									
2									
3									
Total									

I declare that the statements furnished in this return and the various Boxes there to are based upon true and complete accounts.

I declare further that the statements made and particular furnished in and with this return in my capacity as a Sales Tax Registered dealer are correct and complete to the best of my knowledge and belief, and that I am competent to sign and submit this return.

Date:
Place:

Signature of authorised person"
Status in relation to dealer

7. Substitution of Form RT-III appended to the Bihar Value Added Tax Rules, 2005 – Form RT-III appended to the Bihar Value Added Tax Rules, 2005 shall be substituted by the following namely—

**“Form RT– III
[See Rule 19(2)]**

Annual Return under section 24 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005

Name and style of the dealer:

TIN:

Period of Return (Year):

Part I (Details of turnover/transfers)

1	Gross Turnover (including value of debit notes):	
	Deductions:	
2	Sales in the course of inter-state trade and commerce	
3(i)	Value of sales outside the state under section 4 of the Central Sales Tax Act, 1956	
3(ii)	Value of stock transfer to outside the state	
4	Value of sales return of goods within 6 months of sale under the Act	
5	Export sales	
6	Amount of other allowable deductions [As per Box A]	
7	Total of deductions [2+3+4+5+6]	
8	Taxable turnover [1-7]	

Part II (Output tax)

Rate wise bifurcation of output tax:

9	Description of sale	Rate of tax	Turnover of sale	Tax payable
(i)(a)	Sale of Motor Spirit by an Oil Company to a dealer/person other than an Oil Company			
(i)(b)	Sale of HSD Oil and Light Diesel Oil by an Oil Company to a dealer/person other than an Oil Company			
(i)(c)	Sale of ATF by an Oil Company to a dealer/person other than an Oil Company			
(i)(d)	Sale of Natural Gas by an Oil Company to a dealer/person other than an Oil Company			
(i)(e)	Sale of Country Liquor/Spiced Country Liquor			
(i)(f)	Sale of Potable Spirit, wine or liquor whether imported from other countries or manufactured in India			
(i)(g)	Sale of other schedule IV goods (except sl. no. 1 to 6 of schedule IV) [Details to be furnished as per Box H]			
(i)(h)	Others specify			
(ii)	Goods specified in Schedule II (goods wise sales to be furnished as per box F)	1%		
(iii) (a)	Goods specified in Schedule IIIA (goods wise sales to be furnished as per box F)	5%		
(iii) (b)	Goods specified in Schedule III (goods wise sales to be furnished as per box F)	5%		

Part IV (Input Tax Credit and Tax payable)

		Value	Tax
13	Input tax (including purchase tax in case of manufacturers) paid by the dealer on purchases during the year		
14	Reverse Credit [As per Box C]		
15	Input tax credit on account of capital goods under rule 12		
16	Unadjusted Input tax credit brought forward from previous year		
17	Total Input tax credit for the year [(13-14)+15+16]		
18	Rebate under section 24(12) [to be claimed only if 10 is greater than 17 and to be computed on 10-17]		
19	Surcharge payable under section 3A		
20	Additional Tax payable under section 3AA		
21	Total of output tax, surcharge and additional tax (net of rebate)[(10-18)+19+20]-		
22(i)	VAT payable for the year [21-17] if 21 is greater than 17		
22(ii)	Interest payable		
22(iii)	Total tax payable for the year [22(i)+22(ii)]		
23	Unadjusted input tax credit [17-21] if 17 is greater than 21		
24(i)	Central Sales Tax admitted		
24(ii)	Adjustment of unadjusted input tax credit from liability under CST Act, 1956		
24(iii)	Central Sales Tax payable, if any [24(i)-24(ii)]		
25	Refund of unadjusted input tax credit claimed under second proviso to section 16(1), if any		
26(i)	Input tax credit carried forward [23-{24(ii)+25}]		
26(ii)	Vat paid to the extent of VAT payable in the month/months of the year		
26(iii)	Total input tax credit carried forward [26(i)+26(ii)]		

Part V (Payment Details)

27	<u>Payment details: (Tax paid under VAT and Entry tax shall be furnished as per box I)</u>	
(i)	By way of entry tax set-off, if any	
(ii)	By way of purchase tax paid (in case of a manufacturer only)	
(iii)	By way of advance tax, if any, paid under section 3(7)	
(iv)	By way of advance deduction under section 40 or 41 (attach certificate in form C-II)	
(v)	DD/cheque (specify number, dates of payments and name of issuing bank)	
(vi)	Cash	
(vii)	By way of adjustment on account of excess paid during any earlier month of the same financial year (give details of computation of such excess and the mode of its payment)	
(viii)	Any other mode (specify mode)	
(ix)	Excess tax paid during the year	

I declare that the statements furnished in this return are based upon true and complete accounts and tax payable as indicated in column 22 has been paid by Treasury challan or in the mode

indicate in column 27 and that the challans and/or deduction certificates in form C-II in respect of the said payments/deductions are enclosed herewith by way of evidence.

I declare further that the statements made and particular furnished in and with this return in my capacity as a Sales tax Registered dealer are correct and complete to the best of my knowledge and belief, and that I am competent to sign and submit this return.

Date:

Signature of authorised person

Place:

Status in relation to dealer

Box A (other allowable deductions)

	Deduction on account of:	Value
(i)	Sales of goods mentioned in Schedule I of the Act	
(ii)	Sale of Petrol, Diesel, ATF and Natural Gas by an Oil Company to another Oil Company (a list of different goods to be annexed to this return separately alongwith their respective sales values) [<i>Details of goods sold to different companies to be submitted as per Box D</i>]	
(iii)	Value of stock transfers within the state of Bihar	
(iv)	Amount of labour charges and other charges in case of a works contract	
(v)	Sales of goods on which tax has been paid on MRP at the time of their purchase in terms of section 15(5)	
(vi)	Sale of goods on which tax has been paid on the first point of sale u/s 13(2) (b) of the Act (a list of different goods to be annexed to this return separately alongwith their respective sales value)	
(vii)	Sales to organisations specified in Schedule V.	
Total	[(i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)+(vii)] {to be taken to line 6 of the return.}	

Box B

Name of goods	Rate of tax	Turnover of sale	Tax Payable
Petrol			
Deisel			
ATF			
Natural Gas			
Total			

Box C (Reverse credit)

	Reverse Credit on account of:	Value	Tax
(i)	Value of Original Input-Output ratio ("K" as per rule 15) of the previous year in case of a manufacturing dealer		
(ii)	Value of Revised Input-Output ratio (Revised "K" as per rule 16) of the current year in case of a manufacturing dealer		
(iii)	Intra-state stock transfers		
(iv)	Inter-state stock transfers		
(v)	Value of purchase return by the dealer filing this return		
(vi)	Transfer of the right to use goods, gifts or self-consumption		
(vii)	Sale of goods specified in Schedule IV		
(viii)	Sale of goods specified in Schedule I		
(ix)	Value of goods stolen, lost, or destroyed, if any		
(x)	Goods sold at a price lower than the corresponding purchase price		
(xi)	Total Reverse Credit [to be taken to line 14 of the return]		

Box D [Dealer wise sale of MS, HSD, Natural Gas and ATF at Box A(ii) above]

Sl. No.	Name and style of registered dealer to whom sale is made	TIN	Value of Sales of.....				
			MS	HSD	Natural Gas	ATF	Total
1							
2							
3							
	Total						

Box E (Details of statutory Forms/Declarations/Certificates submitted in support of claims)

Sl. No.	Type of form	Number of forms	Period of forms	Value of forms
1	C-II			
2	D-III			
3	D-IV			
4	D-V			
5	D-XI			
6	C			
7	EI/EII			
8	F			
9	H			
10	I			
11	J			

Box F [Details of goods wise sales mentioned in line 9(ii) to 9(iii) above]

Sl. No.	Description of goods	Rate of tax	Entry No. of Schedule			Turnover of sale
			Name of schedule	Part of schedule, if any	Entry No.	
1						
2						
3						
Total						

Box G (Details of Purchases by Works Contractors and Manufacturing Dealers)

Materials	From within the State	From outside the State	Total
Raw Materials			
Packing Materials			
Plant & Machinery			
Total			

Box H [Details of goods wise sales mentioned in line 9(i) (g) above]

Sl. No.	Name of Schedule- IV goods (except Sl.No. 1 to 6 of Schedule- IV)	Rate of Tax	Value of product wise sales and tax payable					Total tax payable (6+7-8)
			Total sale of goods on which tax is leviable on first point of sale only	Total sale of goods on which tax is leviable at each point of sale	Total tax on column - 4	Total tax on column - 5	Adjustment of tax under Rule 10A	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
Total								

Box I [Box [Details of monthwise payment of tax and interest under VAT, CST and Entry Tax]

Sl. No.	Name of Month	Name of the Act (VAT/ CST/ET)	Output tax during month if any	Input tax during month if any	Tax payable in month if any	Amount of tax paid	Amount of interest paid	Date of payment	Challan No.
1									
2									
3									
4									
Total									

I declare that the statements furnished in this return and the various Boxes there to are based upon true and complete accounts.

I declare further that the statements made and particular furnished in and with this return in my capacity as a Sales Tax Registered dealer are correct and complete to the best of my knowledge and belief, and that I am competent to sign and submit this return.

Date:
Place:

Signature of authorised person"
Status in relation to dealer

8. Substitution of Form RT-V appended to the Bihar Value Added Tax Rules, 2005 – Form RT-V appended to the Bihar Value Added Tax Rules, 2005 shall be substituted by the following, namely—

**"Form RT- V
[See Rule 19(4)]**

Revised quarterly Return under section 24 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005

Name and style of the dealer:

TIN:

Period of Return (Quarter and Year):

Part I (Details of turnover/transfers)

1	Gross Turnover (including value of debit notes):	
	Deductions:	
2	Sales in the course of inter-state trade and commerce	
3(i)	Value of sales outside the state under section 4 of the Central Sales Tax Act, 1956	
3(ii)	Value of stock transfer to outside the state	
4	Value of sales return of goods within 6 months of sale under the Act	
5	Export sales	
6	Amount of other allowable deductions [As per Box A]	
7	Total of deductions [2+3+4+5+6]	
8	Taxable turnover [1-7]	

Part II (Output tax)

Rate wise bifurcation of output tax:

9	Description of sale	Rate of tax	Turnover of sale	Tax payable
(i)(a)	Sale of Motor Spirit by an Oil Company to a dealer/person other than an Oil Company (Details of dealer wise sales to be furnished as per Box E-1)			
(i)(b)	Sale of HSD Oil and Light Diesel Oil by an Oil Company to a dealer/person other than an Oil Company (Details of dealer wise sales to be furnished as per Box E-1)			
(i)(c)	Sale of ATF by an Oil Company to a dealer/person other than an Oil Company (Details of dealer wise sales to be furnished as per Box E-1)			
(i)(d)	Sale of Natural Gas by an Oil Company to a dealer/person other than an Oil Company (Details of dealer wise sales to be furnished as per Box E-1)			
(i)(e)	Sale of Country Liquor/Spiced Country Liquor			
(i)(f)	Sale of Potable Spirit, wine or liquor whether imported from other countries or manufactured in India			
(i)(g)	Sale of other schedule IV goods (except sl. no. 1 to 6 of schedule IV) [Details to be furnished as per Box I]			
(i)(h)	Others specify			
(ii)	Goods specified in Schedule II (goods wise sales to be furnished as per box G)	1%		
(iii) (a)	Goods specified in Schedule IIIA (goods wise sales to be furnished as per box G)	5%		
(iii) (b)	Goods specified in Schedule III (goods wise sales to be furnished as per box G)	5%		

9	Description of sale	Rate of tax	Turnover of sale	Tax payable
(iii) (c)	Goods specified in Schedule III (goods wise sales to be furnished as per box G)	6%		
(iv) (a)	Goods not specified in any of the schedule	13.50%		
(iv) (b)	Goods not specified in any of the schedule	14.50%		
(iv) (c)	Goods not specified in any of the schedule	15%		
(v)	Total sales of goods u/s 13(1) {(ii)+(iii)(a)+(iii)(b)+(iii)(c)+(iv)(a)+(iv)(b)+(iv)(c)} [Details of dealer wise sales to be furnished as per Box B]			
(vi)	Sale of such goods in respect of which tax on MRP has been paid by the dealer filing this return in terms of section 15(5)(a) [Details of dealer wise sales to be furnished as per Box J]			
(vii)	Turnover liable to Purchase tax			
(viii)	Excess of reverse credit [14-13] if 14 is greater than 13			
(ix)	Excess tax realised = Value of Sales Return x (Current rate of tax-Rate of tax at the time of such sales)			
10	Total Output tax [(i)(a)+(i)(b)+ (i)(c)+(i)(d)+ (i)(e)+(i)(f)+ (i)(g)+(i)(h)+ (v)+(vi)+(vii)+(viii)+(ix)]			

Part III (Details of purchases/receipts)

11	Value of Purchase/receipts during the quarter:	Goods notified u/s 15(5)*	Schedule IV goods	Schedule I goods	Other taxable goods						Total	
					1%	5% (Sch-IIA)	5% (Sch-III)	6% (Sch-III)	13.5%	14.5%		15%
(i)	Purchases from within the state <i>[Details of dealer wise purchases to be submitted as per Box C]</i>											
(ii)	Purchase from outside the state	—										
(iii)	Stock transfer receipts from within the state											
(iv)	Stock transfers receipts from outside the state	—										
12	Total of Purchase/receipts											

*Furnish dealer wise purchase/receipt of goods within the state notified under section 15(5) as per Box 'K'

Part IV (Input Tax Credit and Tax payable)

		Value	Tax
13	Input tax (including purchase tax in case of manufacturers) paid by the dealer on purchases during the quarter		
14	Reverse Credit [As per Box D]		
15	Input tax credit on account of capital goods under rule 12		
16	Unadjusted Input tax credit brought forward from previous quarter		
17	Total Input tax credit for the quarter [(13-14)+15+16]		
18	Rebate under section 24(12) [to be claimed only if 10 is greater than 17 and to be computed on 10-17]		
19	Surcharge payable under section 3A		
20	Additional Tax payable under section 3AA		
21	Total of output tax, surcharge and additional tax (net of rebate)[(10-18)+19+20]-		
22(i)	VAT payable for the quarter [21-17] if 21 is greater than 17		
22(ii)	Interest payable		
22(iii)	Total tax payable for the quarter [22(i)+22(ii)]		
23	Unadjusted input tax credit [17-21] if 17 is greater than 21		
24(i)	Central Sales Tax admitted		
24(ii)	Adjustment of unadjusted input tax credit from liability under CST Act, 1956		
24(iii)	Central Sales Tax payable, if any [24(i)-24(ii)]		
25(i)	Input tax credit carried forward [23-24(ii)] if 23 is greater than 24(ii)		
25(ii)	Vat paid to the extent of VAT payable in the month/months of the quarter		
25(iii)	Total input tax credit carried forward [25(i)+25(ii)]		

Part V (Payment Details)

26	<u>Payment details: (Tax paid under VAT and Entry tax shall be furnished as per box L)</u>	
(i)	By way of entry tax set-off, if any	
(ii)	By way of purchase tax paid (in case of a manufacturer only)	
(iii)	By way of advance tax, if any, paid under section 3(7)	
(iv)	By way of advance deduction under section 40 or 41 (attach certificate in form C-II)	
(v)	DD/cheque (specify number, dates of payments and name of issuing bank)	
(vi)	Cash	
(vii)	By way of adjustment on account of excess paid during any earlier month of the same financial year (give details of computation of such excess and the mode of its payment)	
(viii)	Any other mode eg. Deferment, etc. (specify mode)	
(ix)	Excess tax carried forward to the next quarter	

I declare that the statements furnished in this return are based upon true and complete accounts and tax payable as indicated in column 22 has been paid by Treasury challan or in the mode indicate in column 26 and that the challans and/or deduction certificates in form C-II in respect of the said payments/deductions are enclosed herewith by way of evidence.

I declare further that the statements made and particular furnished in and with this return in my capacity as a Sales tax Registered dealer are correct and complete to the best of my knowledge and belief, and that I am always competent to sign and submit this return.

Date:

Signature of authorised person

Place:

Status in relation to dealer

Box A (other allowable deductions)

	Deduction on account of:	Value
(i)	Sales of goods mentioned in Schedule I of the Act	
(ii)	Sale of Petrol, Diesel, ATF and Natural Gas by an Oil Company to another Oil Company (a list of different goods to be annexed to this return separately alongwith their respective sales values) [<i>Details of goods sold to different companies to be submitted as per Box E-2</i>]	
(iii)	Value of stock transfers within the state of Bihar	
(iv)	Amount of labour charges and other charges in case of a works contract	
(v)	Sales of goods on which tax has been paid on MRP at the time of their purchase in terms of section 15(5)	
(vi)	Sale of goods on which tax has been paid on the first point of sale u/s 13(2) (b) of the Act (a list of different goods to be annexed to this return separately alongwith their respective sales value)	
(vii)	Sales to organisations specified in Schedule V.	
	Total [(i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)+(vii)] { to be taken to line 6 of the return. }	

Box B (Dealer wise sale of taxable goods at line 9(v) above)**I. Sales to registered dealers:**

Sl. No.	Name and style of Registered dealer to whom sale is made	TIN	Value of sales:							Goods supplied free of cost	Total
			1%	5% (Sch-III A)	5% (Sch-III)	6% (Sch-III)	13.50%	14.50%	15%		
1											
2											
3											
4											
Total											

(Note: Use additional sheets if required)

II. Sales to unregistered dealers:

Sl. No.	Name and style of Unregistered dealer to whom sale is made	Complete Address	Value of sales:							Goods supplied free of cost	Total
			1%	5% (Sch-III A)	5% (Sch-III)	6% (Sch-III)	13.50%	14.50%	15%		
1											
2											
3											
4											
Total											

(Note: Use additional sheets if required)

III. Sale to consumers:

	Value of sales							Goods supplied free of cost	Total
	1%	5% (Sch-III A)	5% (Sch-III)	6% (Sch-III)	13.50%	14.50%	15%		
Total Sale to consumers									

Box C [Dealer wise purchase of taxable goods within the state at line 11(i) above excluding Schedule I and MRP goods]

I. Purchases from registered dealers:

Sl. No.	Name and style of registered dealer from whom purchase is made	TIN	Schedule IV goods (other than liquor)	Value of purchases:							Goods received free of cost	Total
				1%	5% (Sch-III A)	5% (Sch-III)	6% (Sch-III)	13.50%	14.50%	15%		
1												
2												
3												
4												
Total												

(Note: Use additional sheets if required)

II. Purchases from unregistered dealers/Persons other than dealers:

Sl. No.	Name and style of unregistered dealer from whom purchase is made	Complete address	Value of purchases:							Goods received free of cost	Total
			1%	5% (Sch-III A)	5% (Sch-III)	6% (Sch-III)	13.50%	14.50%	15%		
1											
2											
3											
4											
	Total										

(Note: Use additional sheets if required)

Box D (Reverse credit)

	Reverse Credit on account of:	Value	Tax
(i)	Value of Input-Output ratio ("K" as per rule 15) of the previous year in case of a manufacturing dealer		
(ii)	Intra-state stock transfers		
(iii)	Inter-state stock transfers		
(iv)	Value of purchase return by the dealer filing this return		
(v)	Transfer of the right to use goods, gifts or self-consumption		
(vi)	Sale of goods specified in Schedule IV		
(vii)	Sale of goods specified in Schedule I		
(viii)	Value of goods stolen, lost, or destroyed, if any		
(ix)	Goods sold at a price lower than the corresponding purchase price		
(x)	Total Reverse Credit [to be taken to line 14 of the return]		

Box E-1/E-2 (Dealer wise sale of MS, HSD, Natural Gas and ATF) [Commodity wise total of Box E-1 to be taken to line 9(i)(a) to line 9(i)(d) and total of Box E-2 to be taken to line (ii) of Box A]

Sl. No.	Name and style of registered dealer to whom sale is made	TIN	Value of Sales of.....				
			MS	HSD	Natural Gas	ATF	Total
1							
2							
3							
4							
	Total						

Box F (Details of statutory Forms/Declarations/Certificates submitted in support of claims)

Sl. No.	Type of Form	Number of Forms	Period to which transaction relates	Value of Forms
1	C-II			
2	D-III			
3	D-IV			
4	D-V			
5	D-XI			
6	C			
7	EI/EII			
8	F			
9	H			
10	I			
11	J			

Box G [Details of goods wise sales mentioned in line 9(ii) to 9(iii) above]

Sl. No.	Description of goods	Rate of tax	Entry No. of Schedule			Turnover of sale
			Name of schedule	Part of schedule, if any	Entry No.	
1						
2						
3						
Total						

(Note: Use additional sheets if required)

Box H (Details of Purchases by Works Contractors and Manufacturing Dealers)

Materials	From within the State	From outside the State	Total
Raw Materials			
Packing Materials			
Plant & Machinery			
Total			

Box I [Details of goods wise sales mentioned in line 9(i)(g) above]

Sl. No.	Name of Schedule- IV goods (except Sl.No. 1 to 6 of schedule- IV)	Rate of Tax	Value of goods wise sale and tax payable					Total tax payable [6+(7-8)]
			Total sale of goods on which tax is leviable on first point of sale only	Total sale of goods on which tax is payable at each point of sale	Total tax on column - 4	Total tax on column - 5	Adjustment of tax under Rule 10A	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
Total								

Box J (Dealer wise sales of MRP goods mentioned in line 9(vi) above)

(i) Sales to registered dealers:

Sl. No.	Name and style of registered dealer to whom sale is made	TIN	Value of MRP goods							
			sale of Sch-III goods		sale of unspecified goods		Total		Goods supplied free of cost	
			Trade value	MRP Value	Trade value	MRP Value	Trade value	MRP Value	Trade value	MRP Value
1										
2										
3										
4										
Total										

(Note: Use additional sheets if required)

(ii) Sales to unregistered dealers:

Sl. No.	Name and style of dealer to whom sale is made	Complete Address	Value of MRP goods							
			sale of Sch-III goods		sale of unspecified goods		Total		Goods supplied free of cost	
			Trade value	MRP Value	Trade value	MRP Value	Trade value	MRP Value	Trade value	MRP Value
1										
2										
3										
4										
Total										

(Note: Use additional sheets if required)

(iii) Sale to consumers:

	Value of MRP goods							
	sale of Sch-III goods		sale of unspecified goods		Total		Goods supplied free of cost	
Total Sale to consumers	Trade value	MRP Value	Trade value	MRP Value	Trade value	MRP Value	Trade value	MRP Value

Total MRP sales (i)+(ii)+(iii) = Rs.....

Box K (Dealer wise purchases /receipt of MRP goods within the state under section 15(5) as per sl.No. 11)

Purchases/stock transfer receipt from registered dealer

Sl. No.	Name and style of registered dealer from whom purchase/receipt is made	TIN	Value of purchase/receipt of MRP goods							
			purchase/receipt of Sch-III goods		purchase/receipt of unspecified goods		Total		Goods supplied free of cost	
			Trade value	MRP Value	Trade value	MRP Value	Trade value	MRP Value	Trade value	MRP Value
1										
2										
3										
4										
Total										

(Note: Use additional sheets if required)

Box L [Details of monthwise payment of tax and interest under VAT, CST and Entry Tax]

Sl. No.	Name of Month	Name of the Act (VAT/ CST/ET)	Output tax during month if	Input tax during month if any	Tax payable in month if any	Amount of tax paid	Amount of interest paid	Date of payment	Challan No.
1									
2									
3									
Total									

I declare that the statements furnished in this return and the various Boxes there to are based upon true and complete accounts.

I declare further that the statements made and particular furnished in and with this return in my capacity as a Sales Tax Registered dealer are correct and complete to the best of my knowledge and belief, and that I am competent to sign and submit this return.

Date:

Place:

Signature of authorised person"

Status in relation to dealer

9. This notification shall come into force with effect from the date of its issue.

[(File no.-Bikri-kar/Sansodhan-07/2016-3695),

By order of the Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI.

Commissioner-cum-Principal Secretary,
Commercial Taxes Department

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 797-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>